₹ 15

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

अगस्त 2011



CONA
Quality Since 1968

CONA

Original 'n' Genuine

www.conaelectricals.com

Light Emporium

(Zarina EEC. Service)



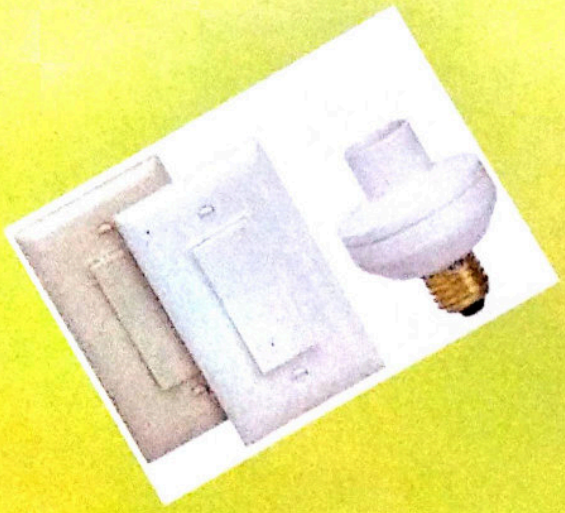



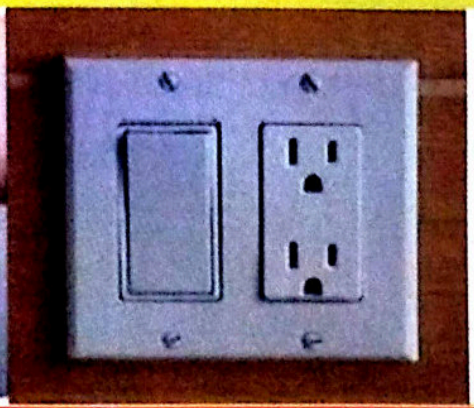

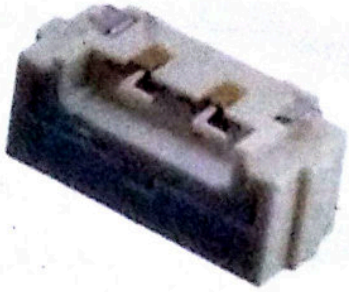

Opp. Muncipal Council, St. Jeronima Road, Mapuca
Tel.: 2262834, Fax: 2262772
Email: zarinaelectricsservices@yahoo.co.in

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 21 अंक 1 जुलाई 2011

कौन है जो अल्लाह को अच्छा ऋण दे कि अल्लाह उसे उसके लिए कई गुना बढ़ा दे ? और अल्लाह ही तंगी भी देता है और कुशादगी भी प्रदान करता है, और उसी की ओर तुम्हें लौटना है।

–क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी–314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी–314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

फोन–(011)–26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-

वार्षिक रु० 160/-

दो वर्ष 300/- पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

ग़ज़लें

कहां यह सतह-पसन्दी अदब[1] को ले आयी
जहां नज़र की बलन्दी न दिल की गहराई

अब आदमी का ठिकाना, न कायनात की ख़ैर
सुना है अह्ले-ख़िरद[2] हो गये हैं सौदाई[3]

हज़ार हैफ़[4] कि हम तेरे बेवफ़ा ठहरे
हज़ार शुक्र कि हम को हवस न रास आयी

अब अपने जेबो-गरीबां का क्या सवाल रहा
जुनूं का हाथ बटाने को ख़ुद बहार आयी

हयात[5] पूछ रही थी सुकून का मफ़हूम[6]
तड़प के दिल ने तेरे दर्द की क़सम खायी

उसी की राह में आंखें बिछाएगी मंज़िल
वो अज़्म[7] जो नहीं मुहताजे-हिम्मत-अफ़ज़ाई[8]

मुशायरों में 'हफ़ीज़' आज कल वही जाए
कि जिसको हद से ज़ियादा हो ज़ौक़े-रुसवाई[9]।

---

1. साहित्य, 2. अक़्ल वाले, बुद्धिमान, 3. पागल, उन्मादी, 4. हाय, अफ़सोस, 5. ज़िन्दगी, 6. अर्थ, 7. इरादा, संकल्प, 8. उत्साह, साहस बढ़ाने की ज़रूरत, 9. बदनामी का शौक़ ।

(2)

छा जाएगी माहौल पे कुछ और उदासी
बुझती हुई शम्ओं[1] से चिराग़ां तो न होगा

इन्सान को इन्सान का ग़मख़्वार[2] बना दे
इस दौर से ये कारे-नुमायां तो न होगा

ख़ुद उसने कहा है तो उसे क्यों न भुला दूं
जानां से ज़्यादा ग़मे-जानां[3] तो न होगा ।

---

1. चिराग़ों, दीपकों, 2. हमदर्द, 3. प्रेम-पात्र का दुख, महबूब या महबूबा का ग़म ।

● **हफ़ीज़ मेरठी**



कहां क्या है ?

ग़ज़लें	–हफ़ीज़ मेरठी	3
क़ुरआन ज्योति		5
हदीस मंजरी		6
न्याय का सवाल (संपादकीय)		7
अजन्मी बेटी का पत्र (आपके पत्र)		8
हज़रत ख़ालिद बिन्त हारिस रज़ि० (नेकी के सिपाही)	–तालिब हाशमी	11
हज़रत उमर (रज़ि०) की न्यायप्रियता	–मौलाना अब्दुल हसीब	15
इस्लामी इतिहास के झरोखे से	–अब्दुल हक़ फ़लाही	17
दलित जहान (कविता)	–इन्तिज़ार नईम	21
इन्सान के नैसर्गिक अधिकार और इस्लाम	–मौलाना जलालुद्दीन उमरी	22
इस्लामी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं (विशेष आयोजन)	–डॉ० फ़ज़लुर्रहमान फ़रीदी	26-27
ब्याज का निषेध (विशेष आयोजन)	–सैफ़ुल्लाह	35
इस्लाम में रोज़गार की आज़ादी	–अल्लामा यूसुफ़ क़रजावी	37
अंधी आस्थाओं का मायाजाल (विचारार्थ)	–मैत्रेयी पुष्पा	39
उपयोगिता (लघुकथा)	–सतीशराज पुष्करणा	42
हृदय परिवर्तन (कहानी)	–नरेन्द्र सिंघवी	43
जीव-जन्तुओं के दोहे (पुस्तक समीक्षा)	–डॉ० जयभगवान शर्मा	44
तिमिर शेष न रहे (कविता)	–अभिराम सत्यज्ञ जयशील	45
ग़ज़ल	–फ़ारूक़ 'फ़राज़'	45
रोशनी कहती कि खिड़की खोलिए	–डॉ० गणेशदत्त सारस्वत	45
सोनोग्राफ़ी मशीनों का ग़लत प्रयोग	–रेणुका पामेचा	47
हलाल की कमाई (बालवीथी)		49



(24) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह और उसके रसूल की पुकार को स्वीकार करो जबकि रसूल तुम्हें उस चीज़ की ओर बुलाये जो तुम्हें जीवन प्रदान करने वाली है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के बीच आड़ बन जाता है और उसी की ओर तुम समेटे जाओगे[19]। (25) और बचो उस फ़ित्ने से जिसकी शामत, मुख्य रूप से सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर सीमित न रहेगी जिन्होंने तुममें से पाप किया हो[20], और जान रखो कि अल्लाह कड़ी सज़ा देने वाला है । –क़ुरआन, 8 : 24, 25

19. निफ़ाक़ (मिथ्याचार) की रीति से इन्सान को बचाने के लिए अगर कोई सबसे अच्छा उपाय है तो यह केवल यह है कि दो विश्वास (अक़ीदे) मानव मन में बैठ जाएं । एक यह कि मामला उस अल्लाह के साथ है जो दिलों का हाल तक जानता है और ऐसा भेद जाननेवाला है कि आदमी अपने मन में जो नीयतें, जो इच्छाएं, जो स्वार्थ, जो उद्देश्य और जो विचार छिपाकर रखता है वह भी उसे मालूम है । दूसरे यह कि जाना बहरहाल अल्लाह के सामने है । उससे बचकर कहीं भाग नहीं सकते । ये दो विश्वास जितने अंधिक सुदृढ़ होंगे, उतना ही मनुष्य कपटाचार से दूर रहेगा । इसीलिए कपटाचार के विरुद्ध उपदेश के सिलसिले में क़ुरआन इन दो विश्वासों का उल्लेख बार-बार करता है ।

20. इससे तात्पर्य वे सामूहिक बिगाड़ (फ़ित्ने) हैं जो महामारियों की तरह ऐसी शामत लाते हैं जिसमें केवल पापी ही गिरफ़्तार नहीं होते, बल्कि वे लोग भी मारे जाते हैं, जो पापी समाज में रहना गवारा करते रहे हों । उदाहरणस्वरूप इसको यूं समझिए कि जब तक किसी नगर में गन्दगियां कहीं-कहीं पृथक रूप से कुछ जगहों पर रहती हैं, उनका प्रभाव सीमित रहता है और उनसे वे ख़ास लोग ही प्रभावित होते हैं जिन्होंने अपने शरीर और अपने घर को गन्दगी से भर रखा हो । लेकिन जब वहां गन्दगी आम हो जाती है और कोई गिरोह भी समूचे नगर में ऐसा नहीं होता जो इस ख़राबी को रोकने और सफ़ाई का प्रबंध करने का यत्न करे तो फिर वायु, धरती, जल, हर वस्तु में विष फैल जाता है और इसके नतीजे में जो महामारी आती है, उसकी लपेट में गन्दगी फैलाने वाले और गन्दे रहने वाले और गन्दे वातावरण में जीवन व्यतीत करनेवाले सभी आ जाते हैं । इसी तरह नैतिक गन्दगियों का हाल भी है कि अगर वे व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों में मौजूद रहें और भले समाज के रौब से दबी रहें तो उनकी हानियां सीमित रहती हैं, लेकिन जब समाज की सामूहिक अन्तरात्मा दुर्बल हो जाती है, जब नैतिक दोषों को दबाकर रखने की क्षमता उसमें नहीं रहती, जब उसके बीच बुरे, निर्लज्ज और दुराचारी लोग अपने मन की गन्दगियों को खुल्लमखुल्ला उछालने और फैलाने लगते हैं और जब अच्छे लोग नकारात्मक दृष्टिकोण (Passive Attitude) अपनाकर अपनी व्यक्तिगत अच्छाई को ही सब कुछ समझ लेते हैं और सामूहिक बुराइयों पर चुप्पी साध लेते हैं, तो कुल मिलाकर पूरे समाज की शामत आ जाती है और वह आम बिगाड़ फैल जाता है जिसमें चने के साथ घुन भी पिस जाता है ।

अतएव अल्लाह के कथन का मंशा यह है कि रसूल जिस सुधार और हिदायत के काम के लिए उठा है और तुम्हें जिस सेवा में हाथ बटाने के लिए बुला रहा है, उसी में वास्तव में व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों हैसियतों से तुम्हारे लिए जीवन है । अगर इसमें सच्चे दिल से निष्ठापूर्ण भाग न लोगे और उन बुराइयों को जो समाज में फैली हुई हैं सहन करते रहोगे तो वह आम फ़ित्ना पैदा होगा जिसकी आफ़त सबको लपेट में ले लेगी, भले ही बहुत-से लोग तुम्हारे बीच ऐसे मौजूद हों जो व्यावहारिक रूप से बुराई करने और बुराई फैलाने के ज़िम्मेदार न हों, बल्कि अपने निजी जीवन में भलाई ही लिए हुए हों । यह वही बात है जिसका क़ुरआन की सूरह-7, (आराफ़), आयत 163-166 में सनीचरवालों का ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वर्णन किया जा चुका है, और यही वह दृष्टिकोण है जिसे इस्लाम की सुधारात्मक लड़ाई का मूल सिद्धांत कहा जा सकता है ।



मुसीबतों की आशंका से मृत्यु की कामना अवांछित

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "तुममें से कोई मृत्यु की कामना न करे क्योंकि अगर वह नेक है, तो संभव है कि वह और भी अधिक नेकियां कर ले और अगर वह बुरा है, तो संभव है कि वह क्षमा मांगकर अल्लाह को राज़ी कर ले ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम । ये शब्द बुख़ारी के हैं ।

मुस्लिम में है कि हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से रिवायत करते हैं कि आपने कहा : "तुममें से कोई मृत्यु की कामना न करे और न उसके आने से पहले उसके लिए दुआ करे क्योंकि जब कोई मर जाता है तो उसके कर्म का सिलसिला टूट जाता है । और मोमिन की आयु से भलाई ही में वृद्धि होती है ।"

सन्देहयुक्त चीज़ों का त्याग

● हज़रत नोमान बिन बशीर (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना : "हलाल भी स्पष्ट है और हराम भी स्पष्ट है और इन दोनों के बीच कुछ चीज़ें संदिग्ध हैं जिनको बहुत से लोग नहीं जानते । अत: जो व्यक्ति संदिग्ध चीज़ों से बचा, उसने अपने दीन और अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखा और जो व्यक्ति उन संदिग्ध चीज़ों में पड़ गया, वह हराम में पड़ गया । उसकी मिसाल उस चरवाहे जैसी है जो वर्जित चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराता है और हमेशा इसकी आशंका रहती है कि कोई जानवर उसके अन्दर घुस जाए । सावधान ! प्रत्येक बादशाह का एक वर्जित चरागाह होता है । सावधान ! अल्लाह की वर्जित चरागाह उसकी (हराम की हुई) वर्जित चीज़ें हैं । सावधान ! शरीर में मांस का एक लोथड़ा है जब वह स्वस्थ और ठीक रहता है, तो सारा शरीर स्वस्थ और अच्छा रहता है, और जब वह बिगड़ गया, तो सारा शरीर बिगड़ जाता है । सावधान रहो कि वह (मांस का लोथड़ा) हृदय है ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम । दोनों ने इस हदीस को कई तरीक़े से मिलते-जुलते शब्दों में रिवायत किया है ।

● हज़रत नौआस बिन समआन (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "नेकी और भलाई सुशीलता का नाम है और गुनाह वह है जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे और तुम यह पसन्द न करो कि लोग उसे जान लें ।" –मुस्लिम

● हज़रत वाबिसा बिन माबद (रज़ि॰) कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थिति हुआ तो आपने कहा : "तुम नेकी के बारे में पूछने आये हो ?" मैंने कहा : हां । तो आपने कहा : "अपने दिल से पूछो । नेकी वह है जिससे मन संतुष्ट हो और हृदय भी संतुष्ट हो । और गुनाह वह है जो तुम्हारे मन में सन्देह पैदा करे और सीने (दिल) में खटके । यद्यपि लोग उसके बारे में कुछ भी फ़त्वा दें और तुझसे फ़त्वा चाहें ।"

–यह हदीस हसन है । अहमद और दारमी दोनों ने अपनी मुसनदों में रिवायत किया है । (रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय
हिन्दी वेबसाइटें
www.islamdharma.org
www.islamicwebdunia.com
www.islamic-videos.com

न्याय का सवाल

सबको न्याय मिले और सबके साथ निष्पक्ष और मानवीय रवैया अपनाया जाए यह प्रत्येक सभ्य समाज और कल्याणकारी राज्य को अपेक्षित है, लेकिन हमारे देश में न्याय एक दुर्लभ वस्तु की भांति है, जो संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद पूर्णतः अस्तित्व में नहीं आ पाता । सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपनी एक टिप्पणी में इस वास्तविकता पर चिंता जतायी । उसने कहा कि आज हमारी व्यवस्था ऐसी है जिसमें ग़रीबों के साथ न्याय नहीं हो पाता । जस्टिस जी॰एस॰ सिंघवी और जस्टिस सी॰के॰ प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि व्यवस्था का तौर-तरीक़ा अत्यंत असमानता वाला होता है । सुप्रीम कोर्ट ने इस सच्चाई की भी पुष्टि की कि हमारे देश में अमीरों के लिए न्याय पाने का रास्ता छोटा और आसान है, वहीं ग़रीबों के लिए मुश्किल । सामान्यतः जब तक उसे न्याय मिलता है, वह जुर्म की सज़ा काट चुका होता है, जो उसने किया ही नहीं । खंडपीठ ने यह भी कहा कि व्यवस्था में यह ख़ामी क्यों है, यह गहन विचार का विषय है । सुप्रीम कोर्ट ने इस वास्तविकता पर भी अपनी मुहर लगायी कि ग़रीब धनाभाव के कारण वरिष्ठ एवं अनुभवी वकीलों की सेवाएं नहीं ले पाता, जिसके चलते उसका मुक़दमा जल्द सुनवाई के लिए नहीं आ पाता, न ही वह क़ानून के उन दांवपेंचों का फ़ायदा उठा पाता है, जिसे वकील धनी मुवक्किलों के लिए मुहैया करवाते हैं । यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 600 करोड़ के मामले में दायर एक बिल्डर की याचिका ख़ारिज कर दी ।

हमारे देश के संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो नागरिकों को समानता और एक समान व्यवहार जैसे अधिकारों से परिपूर्ण हैं । अनुच्छेद 14 में सभी को क़ानून के समक्ष बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, तो अनुच्छेद 15 में लिंग, धर्म, जन्मस्थान और जाति के आधार पर भेदभाव न करने का प्रावधान है । इनके साथ ही बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो नागरिकों के जीवन को सुरक्षित, संरक्षित, मर्यादित और सुगम बनाते हैं, लेकिन व्यवहार में सामान्यतः देश की सबसे बड़ी जनसंख्या-ग़रीब वर्ग-इन प्रावधानों के फ़ायदे से वंचित रह जाती है । सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि सरकार भी भेदभाव में पीछे नहीं रहती । व्यवस्था की इस ख़ामी से सहज रूप में अनेक विसंगतियां जन्म लेती हैं । जनता में असंतोष पनपता है और वह जनतंत्र की आड़ में अपने को ठगी हुई महसूस करती है । इस संत्रास का प्रकटन भी जब-तब होता रहता है । 1980 में ग़ाज़ियाबाद में ज़िला जज की अदालत में एक युवा वकील ने चीख़ कर कहा था कि न्यायालय से जल्दी न्याय नहीं मिलता । उसने खीज कर गांधी जी की तस्वीर पर पेपर वेट उछाल कर मारा था । उसके ख़िलाफ़ न्यायिक अवमानना का केस चला । वह एक ग़रीब शख़्स की पैरवी कर रहा था, जिसका मुक़दमा खिंचता चला जा रहा था । यह एक विचारणीय तथ्य है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और अन्य को नसीहत पिलाने वाली न्यायपालिका की ख़ामियों की अनदेखी क्यों की जाती है ? उसे एक समय-सीमा के तहत न्याय देने के लिए बाध्य क्यों नहीं किया जाता ? महंगी न्याय-प्रक्रिया को कम ख़र्चीली क्यों नहीं बनाया जाता ? उन वकीलों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता, जो मुवक्किलों का आर्थिक शोषण करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं ? वस्तुस्थिति यह है कि आज अदालतों में सिर्फ़ पैसे और रुतबे वालों का ही बोलबाला है । वे अपने 'बल' पर क़ानूनी नियमों; प्रावधानों और निर्णयों को अपने अनुकूल बनाते हैं । सरकार और सुप्रीम कोर्ट को इन विसंगतियों को दूर करने के लिए तत्काल क़दम उठाना चाहिए, तभी सबको सुलभ, सस्ता और जल्द न्याय मिल सकता है ।

अजन्मी बेटी का अपनी मां के नाम पत्र

मेरी प्यारी मां,

मैं ख़ुश हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप भी सुखी रहें । यह पत्र मैं इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मैंने एक सनसनीख़ेज़ ख़बर सुनी है, जिसे सुनकर मैं सिर से पांव तक कांप उठी हूं ।

स्नेहदात्री मां ! आपको मेरे कन्या होने का पता चल गया है और आप मुझ मासूम को जन्म लेने से रोकने जा रही हैं–यह सुनकर मुझे तो यक़ीन ही नहीं हुआ । भला, मेरी प्यारी-प्यारी कोमल हृदय मां ऐसा कर सकती हैं ? कोख में पल रही अपनी लाडली के सुकोमल शरीर पर नश्तरों की चुभन एक मां कैसे सह सकती है ?

पुण्यशीला ! बस, आप एक बार कह दीजिए कि यह जो कुछ मैंने सुना है वह झूठ है । दरअस्ल यह सब सुनकर मैं दहल-सी गयी हूं । मेरे तो हाथ भी इतने सुकोमल हैं कि इनसे डॉक्टर के क्लीनिक की तरफ़ जाते वक़्त आपकी चुन्नी भी ज़ोर से नहीं खींच सकती ताकि आपको रोक लूं । मेरी बांहें भी इतनी पतली और कमज़ोर हैं कि इन्हें आपके गले में डालकर लिपट भी नहीं सकती ।

मधुमय मां ! मुझे मारने के लिए जो दवा आप लेना चाहती हैं वह मेरे नन्हें-से शरीर को बहुत कष्ट देगी । स्नेहमयी मां ! उससे मुझे बहुत दर्द होगा । आप तो देख भी नहीं पाओगी कि वह दवाई आपके पेट के अन्दर मुझे कितनी बेरहमी से मार डालेगी । डॉक्टर की हथौड़ी कितनी क्रूरता से मेरी कोमल खोपड़ी के टुकड़े-टुकड़े कर डालेगी, उसकी कैंची मेरे नाज़ुक-नाज़ुक हाथ-पैरों को काट डालेगी । अगर आप यह दृश्य देखतीं तो ऐसा करने का कभी सोचती भी नहीं ।

सुखदात्री मां ! मुझे बचाओ...कृपा करो, दयामयी मां ! मुझे बचाओ...यह दवा मुझे आपके शरीर से इस तरह फिसला देगी, जैसे गीले हाथों से साबुन की टिकिया फिसलती है । ईश्वर के लिए, मां ! ऐसा कभी मत करना । मैं यह पत्र इसलिए लिख रही हूं क्योंकि अभी तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती । कहूं भी तो किससे और कैसे ? मुझे जन्म लेने की बड़ी ललक है, मां ! अभी तो आपके आंगन में मुझे नन्हें-नन्हें पैरों से छम-छम चलना है, आपकी ममता भरी गोद में खेलना है ।

...चिंता नहीं कर, मां ! मैं आपका ख़र्चा नहीं बढ़ाऊंगी ।

उत्कृष्ट पत्र

समाज सुधार की भावना

'क़ान्ति' का अप्रैल 2011 का अंक समय से हस्तगत हुआ । एतदर्श अनेकानेक धन्यवाद एवं हार्दिक आभार । प्रत्येक अंक नियमित रूप से पढ़ता हूं तथा सांस्कृतिक चेतना मुखरित करने वाले आलेखों से स्मरणीय सामग्री अपनी डायरी में नोट करता हूं ताकि उसका उपयोग भविष्य में लेखन में किया जा सके । अंक नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं । पत्रिका अपने गंतव्य की ओर निरंतर बढ़ रही है । मैं पढ़कर अन्य शिक्षक साथियों को भी अंक पढ़ने हेतु सौंप देता हूं ताकि इसका प्रचार-प्रसार हो सके और प्रकाशित सामग्री का लाभ पाठक को मिल सकें । विद्यालय के अन्य शिक्षक भी इसमें रुचि ले रहे हैं । पत्रिका का यह अंक बहुत ही उपयोगी एवं संग्रहणीय है ।

'इस्लामी समाज में औरत' आलेख अत्यंत विचारोत्तेजक एवं चिंतन-मनन के योग्य है । समाज सुधार की भावना जाग्रत करने वाली तथा नारी विमर्श का संदेश मुखरित करने वाली 'कान्ति' निश्चय ही जन-जन के हृदय में समरसता का संदेश शांतिपूर्ण क्रांति के रूप में मुखरित करेगी–ऐसा मेरा विश्वास है । पत्रिका का उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं ।

डॉ॰ पशुपति नाथ उपाध्याय
शिवपुरी, अलीगढ़

■ आपको एक वर्ष तक 'कान्ति' मासिक मुफ़्त प्राप्त होगी । –संपादक

मत लेकर देना मुझे पायल...। मैं दीदी की छोटी पड़ चुकी पायल ही पहन लूंगी । भैया के छोटे पड़ चुके कपड़ों से तन ढक लूंगी, मां ! बस एक बार...एक बार मुझे इस कोख से निकलकर चांद-तारों से भरे आपके आसमान तले जीने का मौक़ा तो दीजिए ।

एक बेटे के लिए कई मासूम बेटियों की बलि देना कहां तक उचित हैं, आख़िर यह महापाप भी तो आप और आपके बेटे के सिर चढ़ेगा । ना...ना...ऐसा कभी मत होने देना, मां...मेरी प्यारी मां ! बस अब कृपा करके मुझे जन्म दे दीजिए । मुझे मत मारिये, अपनी बग़ल की डाल पर फूल बनकर खिल लेने दीजिए...।

सौजन्य : राजाराम विनोद कुमार अग्रवाल
रामपुर (उ०प्र०)

दहेज की समस्या और उसका निदान

'दहेज' शब्द लड़कियों के मां-बाप के लिए दिल दहलाने वाला शब्द बनकर रह गया है । शादी के समय दुल्हा को अपने ससुराल या कन्या से जो धन मिलता है उसे ही आमतौर पर दहेज कहा जाता है । यह प्रथा विवाह का आधार स्तंभ बन गयी है । समाज में यह एक भयंकर घाव की तरह फैलती जा रही है । जिसके दर्द से पुरा समाज पीड़ित है । अमीर-ग़रीब सब लोग इस ग़लत रिवाज में झुलस रहे हैं । डॉक्टर और इंजीनियर सभी समुदाय के लोग इसमें संलग्न हैं । जिस तरह से दुकान, हाट, बाज़ार में सौदे के क्रय-विक्रय किया जाता है उसी तरह वर को भी ख़रीदा जाता है । पद के अनुकूल लड़के का भी मूल्य तय किया जाता है ।

यह परम्परा किसी एक समुदाय में नहीं है, बल्कि हर समुदाय में दहेज का विष फैल चुका है । बुद्धिजीवी, साक्षर, शिक्षित ही दृढ़ इच्छाशक्ति और समाज सुधारने के दृष्टिकोण से इस प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने में सफल हो सकते हैं । नवयुवकों को आदर्श विवाह के प्रति जागरूक कर दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है ।

हिन्दू समाज में चूंकि लड़कियों को पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार नहीं दिया जाता है इसलिए प्राचीन काल में पिता अपनी पुत्री को विवाह के समय वस्त्र, आभूषणों और कुछ धन के साथ विदा करता था इससे लड़के वालों में लालच बढ़ती गयी और वे लड़की के पिता से अधिक से अधिक धन की मांग करने लगे । अत: समाज के लिए यह प्रथा अभिशाप बन गयी हैं । लड़की जवान होने के बाद चिंता का कारण बन जाती है । लड़के वाले इसका पुरा लाभ उठाकर दहेज मांगते हैं । अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा से लड़के वाले दहेज मांगते हैं । दहेज एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है । अपने लड़के की शादी में अधिक दहेज लेने वाले व्यक्ति समझते हैं कि समाज में उनकी इज़्ज़त बढ़ जाती है ।

दहेज प्रथा के कारण अनेक दुखद घटनाएं समाज में घटती रहती हैं । कम दहेज मिलने पर नवविवाहिताओं को सास-नन्द का ताना सुनना पड़ता है । उसे ससुराल में घुट-घुटकर जीना पड़ता है और कभी-कभी आत्महत्या करने तक के लिए मजबूर होना पड़ता है । आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक दिन लगभग 300 स्त्रियां दहेज के कारण आत्महत्या कर लेती हैं ।

इस प्रकार दहेज प्रथा एक भयंकर समस्या बन गयी है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1961 ई० में दहेज निरोध अधिनियम भी बना । परन्तु व्यवहार में इससे विशेष लाभ नहीं हो सका । आज भी यह समस्या पहले की तरह बनी हुई है । 1985 ई० में दहेज विरोधी संशोधन क़ानून बनाकर इसके विरुद्ध कठोर क़दम उठाने का प्रयत्न किया गया है । अब दहेज लेने और देने में सहयोग करने पर न्यूनतम सज़ा 5 वर्ष क़ैद और 5000 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है । अंत में निष्कर्षत: हम यह कह सकते हैं कि जुर्माना और सज़ा के साथ-साथ दहेज की समस्या के समाधान हेतु क़ानून के साथ जनमत जागृत करना भी आवश्यक प्रतीत होता है ।

मुहम्मद निज़ामुद्दीन
भ०दं०या० उच्च विद्यालय पोहद्दी बेला,
घनश्यामपुर, दरभंगा (बिहार)

अच्छे विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प

पत्रिका 'कान्ति' प्राप्त हुई । सहसा बीते हुए वर्षों के उन पलों की सुधि आ गयी । जब पुस्तकालय एवं वाचनालय आर्य समाज संतना (म०प्र०) में पुस्तकालय प्रबंधक पर सेवारत था । उन दिनों पत्रिका मिलती रहती थी । (वर्ष 1999 से वर्ष 2004 तक)

हरिद्वार (उत्तराखंड) में इन दिनों देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जनसंपर्क प्रसार एवं सेवायोजन विभाग में कार्यरत हूं । पत्रिका हाथ में आयी, अच्छी लगी । पत्रिका

के नाते (वर्ष 1999 से वर्ष 2004) अब तक इतने पुराने समय का जुड़ाव है । सब जगह पत्रिका पहुंचा देने की जो ललक है–अच्छे विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का जो संकल्प है, वह सराहनीय है ।

महापुरुषों की अमरवाणियां जीवन मूल्यों को संरक्षित-संवर्धित करने का जब देश का हर नागरिक प्रयास करेगा, वाणी, लेखनी, आचरण से उस दिन विश्व वसुंधरा में प्रेम के सूरज की रोशनी सभी पाने लगेंगे । न्याय के चांद की चांदनी से सभी नहाने लगेंगे । साहित्यिक पत्रिकाओं का वस्तुतः यही ध्येय है । आप जैसे सत्पुरुष इस लक्ष्य में लगे रहते हैं, यह देखकर खुदा की रोशनाई महसूस होती है । यही मानवजाति को रूहानी ताक़त देती है । हमारा आपका संबंध सदा बना रहेगा ।

दिलीप कुमार शुक्ल
हरिद्वार (उत्तराखंड)

अपनों की चोट

यह संसार भी विचित्र है जहां अपनों की चोट ज़्यादा महसूस हाती है । इसे इस प्रकार समझना चाहिए । लुहार लोहे को लोहे से पीटता है तो इसकी आवाज़ ज़ोर से पैदा होती है लेकिन जब सुनार सोने को लोहे से पीटता है तो आवाज़ धीमी आती है । अर्थात इस संसार में भाई का भाई दुश्मन हो जाता है जबकि दूसरे लोग परेशानी में सहयोगी बनते देखते जाते हैं । अब देखिये भारत-पाक की दो फाड़ हुई । दोनों ही देशवासी भाई-भाई थे । दोनों ही एक शरीर की दो आंखें थीं लेकिन आज तक दोनों में प्रेम की धारा फूटी ही नहीं और आपसी संशय के चलते दोनों का ही विकास भी अवरुद्ध हो रहा है । इन दोनों में कैसे वात्सल्य पैदा हो आज तक कोई भूमिका सामने नहीं आयी और तो और इस मामले में हमारे साधु-संत, मुल्क के मौलवी भी चुप हैं । जबकि ये लोग भाईचारा पैदा कर सकते हैं । फिर भी हम ईश्वर और खुदा से दुआ करेंगे कि वे सभी को सदमार्ग बताएं और अम्न-चैन बनाए रखने में सभी का दिमाग़ संतुलित रहे । 17 वर्ष तक चलने वाले अयोध्या विवाद अब सर्वोच्च न्यायालय में तीनों पक्षधरों ने प्रस्तुत किया । और सभी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय आये स्वीकार करने की मंशा ज़ाहिर की, इसे शुभ संकेत ही कहा जाएगा । मूल में मुद्दा है कि जहां बाबरी मस्जिद थी क्या वह भूमि मस्जिद की थी, यदि नहीं तो बंटवारा उस ज़मीन का क्यों । अब हम खुदा से अपील करते हैं कि :

"ऐ खुदा अब तो अंधेरे में उजाला कर दे,
हम वो मोती हैं जो बिखरे-छुपे रहते हैं ।
इल्तिजा है हमें धागों के हवाले कर दे ।

आशा की जा सकती है कि अब न्याय होगा, ताकि हिन्दू-मुस्लिम एकता बनी रहे ।

घेवरचन्द गोदीका
जयपुर, राजस्थान

प्रार्थना

अल्लाह के जो नाम से, करुण-दया की खान ।
रहम करे मुझ पर सदा, रोशन करे कुरआन ।।
प्रशंसा अल्लाह के लिए, करुण अति दयावान ।
जो मालिक अंतिम दिन का, सकल जगत का प्रान ।।
करे सदा हम तेरी बन्दगी ।
मदद मिले तुझ से ताज़िन्दगी ।।
सीधी राह हमें तू दिखाओ ।
उन लोगों का पथ बतलाओ ।।
प्रकोपी बने न भटके ही, प्रिय पात्र हैं तेरे ।
आयत ये कुल सात हैं, मक्का में जो उतरे ।।

डॉ॰ अमल सिंह 'भिक्षुक'
133/20, भारती गंज, सासाराम (बिहार)

धन्यवाद

आपकी सुलझी हुई पत्रिका 'कान्ति' निरंतर मिल रही है । पत्रिका भेजने के लिए धन्यवाद । मैं अपनी एक लघुकथा 'यूसुफ़ ख़ान का बक्सा' प्रकाशनार्थ भेज रही हूं । उपयुक्त लगे तो पत्रिका में स्थान दें ।

सुकीर्ति भटनागर
432, अरबन एस्टेट, फेज-1, पटियाला

प्रार्थना

पल-पल मेरे हर रोम में,
हर श्वांस में प्रभु तुम रहो,
जीवन की अंतिम श्वांस तक,
मेरे हृदय में तुम रहो,
हे स्वामी परम् कृपालु मेरी
एक है बस याचना
कर दो दया अब ना पड़े
संसार में और नाचना ।

यशपाल जैन 'आदर्श'
जयपुर, राजस्थान

हज़रत ख़ालिद बिन्त हारिस (रज़ि॰)

❖ तालिब हाशमी

हज़रत ख़ालिदा बिन्त हारिस (रज़ि॰) मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि॰) की फूफी थीं ।

कहते हैं कि एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि॰) अपने बाग़ में थे । उस समय उनकी फूफी हज़रत ख़ालिदा (रज़ि॰) भी वहीं थीं । तभी किसी व्यक्ति ने आकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि॰) को यह शुभ सूचना दी कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं ।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि॰) ने जैसे ही यह शुभ सूचना सुनी वे ख़ुशी से उछल पड़े और अनायास ही उनके मुंह से 'अल्लाहु अकबर' का नारा बुलन्द हो गया ।

ज्ञात हो कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि॰) तौरेत के बहुत बड़े आलिम (विद्वान) थे और तौरेत में आख़िरी नबी की बहुत सारी निशानियां पढ़ चुके थे और हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) उन सारी निशानियों में खड़े उतरते थे । इसलिए वे आप (सल्ल॰) को बिना देखे ही उनको दिलो-जान से चाहने लगे थे ।

उनकी ख़ुशी और उत्सुकता देखकर हज़रत ख़ालिदा (रज़ि॰) आश्चर्यचकित थीं और फिर उन्होंने पूछ ही लिया : "हिस्सीन (हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि॰ का अस्ली नाम)! उन साहब के आने से तुम्हें इतनी ख़ुशी हो रही है कि शायद हज़रत मूसा (अलैहि॰) भी तशरीफ़ ले आते तो तुम इतने ख़ुश न होते ।"

हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि॰) ने कहा, "फूफी जान ! ख़ुदा की क़सम, ये हज़रत मूसा (अलैहि॰) के भाई ही हैं और उसी दीन के प्रचार-प्रसार के लिए यहां आये हैं जिसका प्रचार-प्रसार हज़रत मूसा (अलैहि॰) किया करते थे ।"

हज़रत ख़ालिदा (रज़ि॰) ने पूछा : "भतीजे, क्या वास्तव में यह वही नबी हैं जिनकी तौरेत और अन्य ईश्वरीय ग्रंथों में भविष्यवाणी की गयी है ?"

हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि॰) ने जवाब दिया,

HINDUSTAN TRAVELS

Prop.
ABDUL RASHID
Mob : 9425254335

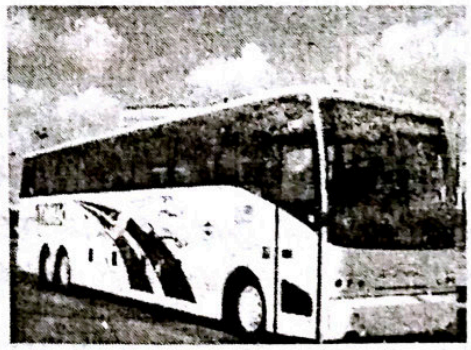

Ambikapur to Bilaspur 4:30 (Morning)
Vishrampur to Bilaspur 4:25 (Morning)
Raipur to Ambikapur 9:20 (Night)

Address : Imlipara, Ambikapur, Surguja-497001 (C.G.)

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)



एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 93 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2010-2011 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 8000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 14 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 125 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप खुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,

UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

.....में अपनी रक़म भेज सकते हैं.....

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

.....चेक, ड्राफ्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता.....

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE.

At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKIN G A/C NO.: 300402010010581

☎ 0631-2734428 ● Mobile : 9955655960

E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

अध्यक्ष
डॉ० फ़रासत हुसैन

नाज़िम
डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

"निस्सन्देह यह वही नबी हैं ।"

"फिर तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वह हमारे शहर में पधारे हैं ।"

इस बातचीत के बाद हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि॰) ने आप (सल्ल॰) के पास जाने और उनसे मुलाक़ात करने का इरादा किया तो हज़रत ख़ालिदा (रज़ि॰) भी तैयार हो गयीं और अपने भतीजे हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि॰) के साथ आप (सल्ल॰) से मिलने चल पड़ीं और आप (सल्ल॰) के हाथ पर इस्लाम क़ुबूल कर लिया ।

हज़रत ख़ालिदा (रज़ि॰) इस्लाम क़ुबूल करने के बाद अपने घर पहुंची और घर के सभी सदस्यों को बुलाकर इस्लाम की दावत दी । अल्लाह का करना घर के सभी छोटे-बड़े सदस्यों ने उनकी दावत पर इस्लाम क़ुबूल कर लिया ।

2. हज़रत उमरा बिन्त रवाहा (रज़ि॰)

हज़रत उमरा बिन्त रवाहा (रज़ि॰) हज़रत रवाहा बिन सालबा (रज़ि॰) की बेटी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि॰) की बहन और हज़रत बशीर बिन साअद अंसारी (रज़ि॰) की पत्नी थीं । उनके बेटे हज़रत नोमान बिन बशीर (रज़ि॰) भी मशहूर सहाबी गुज़रे हैं ।

हज़रत उमरा (रज़ि॰) अपने बेटे नोमान (रज़ि॰) को बहुत चाहती थीं । उनको अपने बेटे से इतना अधिक लगाव था कि वे अपनी सारी जायदाद अपने बेटे नोमान को दे देना चाहती थीं । इसके लिए उन्होंने अपने पति हज़रत बशीर बिन साअद (रज़ि॰) को भी इसके लिए राज़ी कर लिया और दोनों पति-पत्नी ने इसके लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) को गवाह बनाने का फ़ैसला किया ।

अतएव हज़रत बशीर बिन साअद (रज़ि॰) अपने नन्हे बेटे हज़रत नोमान (रज़ि॰) को लेकर आप (सल्ल॰) की सेवा में हाज़िर हुए और कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! आप गवाह रहिए कि मैं अपनी अमुक जायदाद अपने बेटे नोमान को देता हूं ।"

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने पूछा : इसके दूसरे भाइयों को भी हिस्सा दिया है ?"

उन्होंने कहा, "नहीं ।"

"तो फिर मैं जुल्म पर गवाही नहीं देता ।"

इस पर वे चुपचाप घर लौट गये और हज़रत उमरा (रज़ि॰) ने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के आदेश पर अपना सिर झुका लिया ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) को भी हज़रत उमरा (रज़ि॰) से बहुत लगाव था । एक बार आप (सल्ल॰) के पास ताएफ़ से कुछ अंगूर आये । क़िस्मत से उस समय हज़रत नोमान (रज़ि॰) भी वहां मौजूद थे । उस समय उनकी आयु लगभग 6-7 साल थी । आप (सल्ल॰) ने नोमान (रज़ि॰) को अंगूर के दो गुच्छे दिये और कहा कि एक गुच्छा तुम्हारा और दूसरा गुच्छा तुम्हारी मां उमरा का ।

हज़रत नोमान (रज़ि॰) ने दोनों गुच्छे रास्ते में ख़ुद ही खा लिए और मां को बताया तक नहीं । कुछ दिनों बाद हज़रत नोमान (रज़ि॰) आप (सल्ल॰) की सेवा में हाज़िर हुए, तो आप (सल्ल॰) ने उनसे पूछा : नोमान ! क्या तुमने वह अंगूर अपनी मां को दे दिये थे ।

उन्होंने कहा, "नहीं" ।

आप (सल्ल॰) ने प्यार से उनकी कान ऐंठे और कहा, "क्यों मक्कार ?"

इस घटना से पता चलता है कि हज़रत उमरा (रज़ि॰) का आप (सल्ल॰) से कितना गहरा ताल्लुक़ था ।

मारूफ़
शू पैलेस
जी॰ई॰ रोड, बस स्टैंड, बी॰एम॰वाई॰
चरौदा, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
फ़ोन : 0788-6534786

मक़सूद भाई मोबाइल : 9406090786
एस॰के॰ इंटरप्राइजेज
होल सेल शू मर्चेन्ट
अलंकार कम्पलेक्स के निकट
कैम्प-2, भिलाई, (छत्तीसगढ़)
फ़ोन : 0788 6535786

AL-HERA LIBRARY

(Run and Managed by **Sabiha Welfare Trust,** Registration No. 5418/4603)

Near Road No. 10, Main Road, Jawahar Nagar, P.O. Azadnagar,
Mango, Jamshedpur-832110, Jharkhand (INDIA)
E-mail : al_hera_library@sify.com, Mob. : 09334634662, 09204000609

APPEAL

An academic library named **"AL-HERA LIBRARY"** was established in 2004 to uplift the education standard in the downtrodden people of the society. Now it is running under **"SABIHA WELFARE TRUST" Regn. no. 5418/4603, PAN No. AAITS2377J.** This is the only academic library in approx. 8 lakhs populated area, it works progressively and achieving its goal day by day. It was started with 75 books only & after 6 consecutive years it reaches 4656 books. But still it requires your support to fulfill the student's requirements. Apart from that library also works for carrier counseling, AIDS awareness, blood donation, quiz contest etc.

The president of the library received **CMD** (chairman and managing director) award 2006 in the category of **"CORPORATE RESPONSIBILITY"** from Cummins in India held at Pune. Visit **(orkut.com>search>type al hera library).**

Here is the kind request to all of you that please bring your hand forward for this noble cause to serve the students for their glorious future and make our country developed and strong through education.

You are requested to send your donations to :
A/C name : SABIHA WELFARE TRUST
Bank name : STATE BANK OF INDIA
Branch : Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand
A/C no. : 30573132872

May Allah give you returns, Inshallah, Ameen

PRESIDENT
MD. SHAHNAWAZ QUAMAR

हज़रत उमर (रज़ि॰) की न्यायप्रियता

■ **मौलाना अब्दुल हसीब**

अन्तिम संदेष्टा हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के देहांतोपरांत हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) को मुसलमानों ने अपना सरदार बनाया और हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) के पश्चात हज़रत उमर (रज़ि॰) को मुसलमानों का सरदार (ख़लीफ़ा) बनाया गया। हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की जमाअत में इन दोनों महापुरुषों को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था।

हज़रत उमर (रज़ि॰) बहुत दिनों तक ईमान न लाए। इस्लाम धर्म का विरोध करते रहे। परन्तु अंतिम संदेष्टा हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की मनोकामना यह थी कि यदि अबू जहल और उमर में से हमारा कोई साथी बन जाता और मुसलमानों की शक्ति दृढ़ हो जाती। अत: आप (सल्ल॰) ने इसी भावना के साथ अल्लाह से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। अल्लाह ने आपकी प्रार्थना सुन ली और हज़रत उमर (रज़ि॰) ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। यह घटना उस समय की है, जब मुसलमानों को नास्तिक लोगों के अत्याचार से तंग आकर घर-बार छोड़कर हब्शा जाना पड़ा था।

हज़रत उमर (रज़ि॰) जिस प्रकार नास्तिक रूप में इस्लाम के कट्टर विरोधी थे, उसी प्रकार इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात कट्टर अनुयायी बन गये। आपने जब इस्लाम धर्म स्वीकार किया, तो ख़ाना-ए-काबा में जाकर यह घोषणा की कि-"उमर मुसलमान हो गया है जिसे इसका मार्ग रोकना हो आये।" आपके मुसलमान होने के पश्चात लोग खुलकर अल्लाह की इबादत (नमाज़) करने लगे, जबकि पहले वे लोग छुपकर नमाज़ पढ़ा करते थे। हज़रत उमर (रज़ि॰) वास्तव में बहुत वीर एवं निडर थे।

जब आपको मुसलमानों के सरदार (ख़लीफ़ा) के पद पर नियुक्त किया गया, तो आपने राज्य का ऐसा प्रबंध किया कि सारे विश्व में आपके सुप्रबंध की चर्चा होने लगी। यही कारण है कि गांधी जी कहा करते थे कि, "हमें अबू बक्र और उमर (रज़ि॰) जैसे नेताओं एवं मंत्रियों की आवश्यकता है।"

आपने अपने शासनावधि में मिस्र, फ़ारस और फ़िलिस्तीन आदि बहुत से देशों पर विजय प्राप्त की और उन देशों के निवासियों ने जब इस्लाम धर्म के गुणों एवं मुसलमानों का व्यवहार देखा, तो प्रभावित हुए बिना न रहे और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया।

आप अपनी प्रजा का चाहे वह मुसलमान हो अथवा न हो बहुत ध्यान रखते थे। उनकी जान-माल मर्यादा एवं धर्म की रक्षा करते, रातों को भ्रमण करते और लोगों की दशा ज्ञात करते। एक बार आप इसी प्रकार भ्रमण कर रहे थे कि एक स्थान पर चूल्हे में जलती हुई आग देखी। चूल्हे के ऊपर देगची चढ़ी थी और बच्चे मां से लिपट कर रो रहे थे।



हज़रत उमर (रज़ि॰) ने पूछा, "क्या बात है ? इन्हें खिला क्यों नहीं देती ?" स्त्री ने कहा, "इस हांडी में कुछ नहीं है । मैं इन्हें यूं ही बहला रही हूं कि ये किसी भी प्रकार से सो जाएं, तो कल प्रात: उठकर जीविका ढूंढ़ेगी । हज़रत उमर (रज़ि॰) उसी समय सीधे घर गये और बैतुलमाल से खाने-पीने का सामान लाकर दिया और इसके अतिरिक्त उस स्त्री को सरकारी कोष से निवृत्ति वेतन निश्चित किया, क्योंकि उस स्त्री के यहां कोई भी कमाने-धमाने वाला न था ।

एक बार आप इसी प्रकार टहलते हुए एक पटवास (ख़ेमे) के पास पहुंचे, तो अन्दर से कराहने की ध्वनि सुनी और देखा कि बाहर एक मनुष्य बड़ी बेचैनी से टहल रहा है । हज़रत उमर (रज़ि॰) ने उससे वास्तविकता जाननी चाही, तो उसने बताया कि मेरे यहां घर में बच्चा होने वाला है । घर में कोई और स्त्री नहीं है । मैं इस समय अत्यधिक संकट में हूं । हज़रत उमर (रज़ि॰) तुरंत उसी समय घर गये । अपनी पत्नी को बताया । आवश्यक सामग्री लेकर उसके घर पहुंचे । आपकी पत्नी पटवास के अन्दर गयीं । दाई का काम किया । बच्चे का जन्म हुआ । स्त्री को शांति मिली । उस पुरुष ने आपको धन्यवाद दिया । इतने बड़े शासक की पत्नी ने दाई का काम किया ।

हज़रत उमर (रज़ि॰) सादा जीवन बिताते थे । आपका स्वभाव क्रोधपूर्ण था । परन्तु ख़लीफ़ा बन जाने के पश्चात क्रोध का स्थान सहनशीलता एवं दयालुता ने ले लिया था । रातों को अल्लाह के समक्ष रोते और गिड़गिड़ाते और अनजाने में होने वाले अपराधों के लिए क्षमा मांगते । आपने स्वयं को कभी आलोचना से बाहर न समझा । एक साधारण पुरुष भी आपको टोक सकता था ।

एक बार आप एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे कि एक आदमी बीच से उठा और उसने कहा कि हम आपकी बात उस समय तक नहीं सुन सकते, जब तक कि आप यह न बताएं कि माले ग़नीमत (युद्ध में शत्रुओं द्वारा छोड़ा गया माल) में जो कपड़ा एक आदमी के भाग में आया था, उससे इतना लंबा कुर्ता बनना संभव न था फिर आपका इतना लंबा कुर्ता कैसे बना ? इस बात पर आपको तनिक भी क्रोध न आया । आपके पुत्र हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि॰) खड़े हुए और कहा कि मैंने अपने भाग का कपड़ा भी अपने पिता जी को दे दिया था । तब वह मनुष्य बोला हां ! अब आप कहिये । हम आपकी बात सुनेंगे और स्वीकार भी करेंगे ।

बैतुल मक़दिस आप ही के शासन काल में इस्लामी शासन के अधीन हुआ । उसके दर्शन हेतु जब आप जा रहे थे, तो आपके पास केवल एक सवारी थी और साथ में एक दास अफ़लेह भी थे । अफ़लेह की हठ के बाद भी आपने बारी बनायी । कुछ दूर आप पैदल चलते अफ़लेह सवार होते, और फिर जब सवारी बदल जाती, तो आप सवार होते अफ़लेह पैदल चलते । इसी प्रकार यात्रा करते हुए जब आप नगर में प्रवेश कर रहे थे, तो आपकी बारी पैदल की थी अत: अफ़लेह ऊंट पर सवार थे और आप ऊंट की नकेल थामे आगे-आगे चल रहे थे । वहां के ईसाइयों ने जब यह दृश्य देखा तो वे आप (रज़ि॰) की न्यायप्रियता से इतने प्रभावित हुए कि सब के सब मुसलमान हो गये ।

वास्तविकता यह है कि सादगी न्याय और सारे मनुष्य बराबर हैं, का इतना उच्च आदर्श संसार ने कभी नहीं देखा ।

Niyaz Ahmed
Tel. : 2292062 (S)
M. : 98261-29877
Hosiery Centre
Wholeseller
Readymade & Handloom
B/43 Uttar Gangotri, Supela, Bhilai, Durg (C.G.)

इस्लामी इतिहास के झरोखे से

■ अब्दुल हक़ फ़लाही

आज के इस युग में जब हर तरफ़ मानवाधिकार और आज़ादी की चर्चा है, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गोष्ठियां, सेमिनार का आयोजन आये दिन हो रहा है, मानवाधिकारों के हनन का सिलसिला निर्बाध रूप से जारी है । जो जितना ही संपन्न और ताक़तवर है वह उसी अनुपात से कमज़ोरों पर जुल्म और ज़्यादती कर रहा है । पुलिस दबंग लोगों की प्राथमिकी दर्ज करती है और कमज़ोर अशिक्षित को डांट कर भगा देती है । दर्ज भी कर लिया, तो मामले को इतना कमज़ोर बना दिया जाता है कि कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, न्याय की बात तो दूर की है । कोर्ट-कचहरी में भी पुलिस की रिपोर्ट मामले का आधार बन जाती है । बड़े से बड़ा नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक अपराध करके यदि मीडिया वालों को संतुष्ट कर दे तो अख़बार भी चुप हो जाएंगे और वे टी०वी० चैनल भी ख़ामोश हो जाएंगे जो अपने दर्शकों को चटपटी, सनसनीख़ेज़ ख़बरें सुनाने को आतुर रहते हैं ।

ऐसे घटाटोप अंधेरे में कुछ ऐसे नमूनों और आदर्शों की ज़रूरत महसूस होती है जो रोशनी का काम दे सकें और सही मार्गदर्शन कर सकें । आइए इस्लामी राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं, यहां कुछ समाधान निकलने की आशा है ।

यह इस्लाम के दूसरे प्रतिनिधि (ख़लीफ़ा) हज़रत उमर (रज़ि०) का शासनकाल है जो एक कुशल एवं न्यायप्रिय शासक थे जिनके संबंध में अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा था कि उमर की परछाई से शैतान भागता है ।

हज़रत उमर (रज़ि०) ने मशहूर सहाबी-ए-रसूल हज़रत अम्र बिन आस को मिस्र का गवर्नर नियुक्त किया था । उस समय गवर्नर और चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी एक ही होती थी, दो अलग-अलग व्यक्ति नहीं होते थे । मतलब यह कि यह एक बहुत ताक़तवर पद था जिस पर अम्र बिन आस (रज़ि०) आसीन थे । उनकी कुछ और भी विशेषताएं थीं । वे एक तजुर्बेकार और सफल कमांडर जनरल थे जिनके नेतृत्व में मिस्र एलक्जेंडरिया और अन्य क्षेत्र इस्लामी राज्य की सीमा में दाख़िल हो गये थे । इससे पहले नबी (सल्ल०) ने अपने जीवनकाल में उन्हें ओमान में तब्लीग़ी मिशन पर रवाना किया था जहां उनकी कोशिशों से ओमान का शासक इस्लाम की शीतल-छाया में आ गया था । अम्र बिन आस (रज़ि०) एक मृदु-भाषी, सफल वक्ता, निपुण राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक थे ।

उन्हीं के शासनकाल में मिस्र में घुड़सवारी के मुक़ाबले (रेस) का शानदार आयोजन हुआ । रेस में वहां का एक स्थानीय ग़ैर-मुस्लिम (ईसाई) अम्र बिन आस (रज़ि०) के सुपुत्र के घोड़े से आगे निकल गया इस पर उन्हें बड़ा तैश आया, उन्होंने अपनी बड़ी सुबकी महसूस की और उस ग़ैर-मुस्लिम क़िब्ती की पिटाई कर दी । ग़ैर-मुस्लिम शिकायत लेकर हज़रत उमर (रज़ि०) के पास पहुंचा और कहा : मैं जुल्म से निजात पाने के लिए आपकी शरण में आया हूं ।

हज़रत उमर (रज़ि०) ने उसे तसल्ली देते हुए कहा : "तुम ऐसे व्यक्ति की शरण में आये हो जो तुम्हें शरण देने में सक्षम है ।

प्रताड़ना के शिकार ईसाई ने अपना दर्द भरा वृत्तांत सुनाया : मैंने अम्र बिन आस (रज़ि०) के बेटे के साथ घुड़सवारी के दौड़ में भाग लिया । मैं उससे आगे बढ़ गया तो वह मुझे चाबुक से मारने लगा और कहा : मैं एक कुलीन परिवार का बेटा हूं ।"

हज़रत उमर (रज़ि०) ने उसकी फ़रियाद सुनकर मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस (रज़ि०) को ख़त लिखा कि वे अपने सुपुत्र के साथ हाज़िर हों ।

अम्र बिन आस (रज़ि०) अपने बेटे के साथ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (रज़ि०) की सेवा में उपस्थित हुए तो उन्होंने पूछा : वह मिस्री बाशिंदा किधर है ? वह सामने आया तो उसके हाथ में कोड़ा थमाते हुए बोले : "इज़्रिब इब्नल अकरमीन" (इस शरीफ़ज़ादे को मारो) हज़रत उमर (रज़ि०) का आदेश मिलते ही वह अम्र बिन आस (रज़ि०) के लड़के की पीठ पर कोड़े बरसाने लगा । हज़रत उमर (रज़ि०) कहते जाते थे कि इस शरीफ़ज़ादे को मारो ।

इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हज़रत अनस (रज़ि०) (जो अपने बचपन में लगातार दस वर्षों तक नबी (सल्ल०) की

क़ादिरी दवाख़ाना की कामयाब यूनानी दवाएं

DIAL
033-2469-3173
033-2489-3539



किसी भी प्रकार के दर्द, चोट, मोच, गठिया, जलने, कटने और बच्चों की मालिश में बहुत ही लाभदायक।



जाफ़रानी तेल®

गैस्टिक के दर्द में?

क़ब्ज़ ट्रोजन

अनपच, भूख की कमी, जिगर का दर्द, क़ब्ज़, सीने की जलन और पेटी की सभी बीमारियों में बहुत ही लाभदायक।

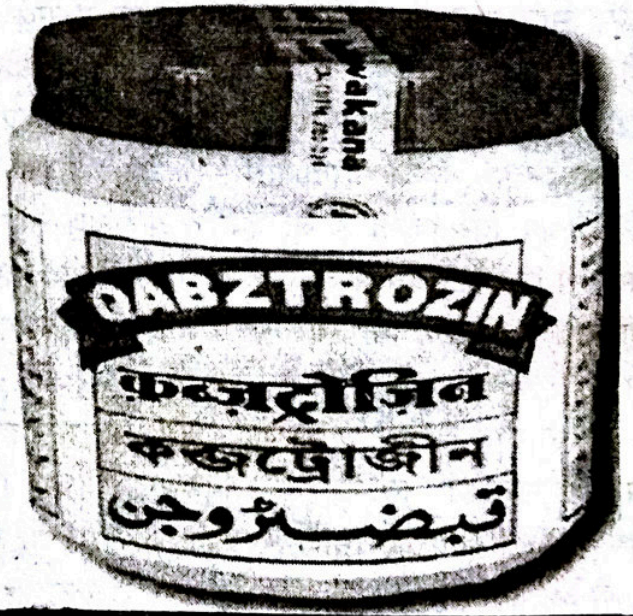

Qadri Dawakhana
B-18, NAWAB WAJID ALI SHAH ROAD, KOLKATA - 24,

DISTRIBUTORS:
DARYA BADI DAWAKHANA 393, E. R. Road, Pydhonie, Mumbai - 400 003 Ph: 022-2341-1957,
RELAX ENTERPRISES 3416, Bahishti Wada, No 1, Dhule, - 424 001 Ph: 02562-236952

सेवा में रहे) का बयान है कि : ''उस मिस्री व्यक्ति ने अम्र बिन आस के बेटे को कोड़े लगाए, अल्लाह की क़सम ! उसे बहुत मारा, और हम भी उसकी पिटाई चाहते थे । लेकिन वह मिस्री बाशिंदा उसे बराबर मारे जा रहा था, यहां तक कि हमारे मन में आया कि अब यह पिटाई बंद हो जाए तो अच्छा है ।

हज़रत उमर ने कहा : अम्र बिन आस (गवर्नर मिस्र) के सिर पर भी कोड़े बरसाओ ।

बोला : जिसने मुझे मारा था उससे बदला ले लिया । अम्र बिन आस ने सफ़ाई दी कि मुझे इस घटना का इल्म नहीं था । आपने कहा कि 'इनकी माताओं ने इन्हें आज़ाद पैदा किया था, तुमने इन्हें अब गुलाम बना लिया ।'

प्रश्न है, क्या आज के ज़माने में भारत तो दरकिनार– यूरोप-अमेरिका के किसी तथाकथित सभ्य देश में भी ऐसे न्याय की कल्पना की जा सकती है ? 'ला एंड आर्डर' को बाक़ी रखने के लिए कुरआन मजीद में अनेक प्रावधान दिये गये हैं । उनमें से एक यह है कि ''चोर का हाथ काट दो चाहे वह मर्द हो या औरत'' (सूरह नूर)।

नबी (सल्ल॰) के ज़माने में एक संभ्रांत परिवार की औरत ने चोरी की । उसका नाम फ़ातिमा था, क़बीला मख़ज़ूम से उसका संबंध था । चोरी की बात खुल गयी और यह भी पता चल गया कि चोरी किसने की । कुछ सबूत देने की ज़रूरत न थी । क़ुरैशी लोगों को बड़ी चिंता हुई कि इस महिला की इज़्ज़त को कैसे बचाया जाए और क़बीले को बदनाम होने से कैसे बचाया जाए । काफ़ी विचार-विमर्श के बाद तय हुआ कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद के माध्यम से महिला के लिए इस केस में छूट देने की बात नबी (सल्ल॰) तक पहुंचायी जाए । लोग नबी (सल्ल॰) के स्वभाव से परिचित थे कि वे अल्लाह के क़ानून को नाफ़िज़ करने के मामले में कितने सख़्त हैं । अंततः उन्होंने उसामा (रज़ि॰) को नबी (सल्ल॰) से सिफ़ारिश के लिए मना लिया ।

ज्ञातव्य है कि उसामा (रज़ि॰) नबी (सल्ल॰) के मुंह बोले बेटे (दत्तक पुत्र) ज़ैद (रज़ि॰) के लड़के थे और नबी (सल्ल॰) के बहुत चहीते थे । उन्हें ''हिब्बो रसूल'' (रसूलुल्लाह के चहीते) की उपाधि मिली हुई थी ।

जब उसामा (रज़ि॰) फ़ातिमा की सिफ़ारिश लेकर पहुंचे तो गुस्से के मारे आप (सल्ल॰) के चेहरे का रंग बदल गया । आपने हज़रत उसामा को डांट पिलायी की तुम अल्लाह के क़ानून में छूट देने के लिए सिफ़ारिश कर रहे हो ? आप मेंबर पर तशरीफ़ लाये और लोगों को संबोधित किया : ''अल्लाह महान है । तुम से पहले की कई क़ौमों का पतन हुआ और वे कमज़ोर व गुमराह हुईं, सिर्फ़ इसलिए कि उनमें जब उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति अपराध करता तो उसे वे छोड़ देते और जब कमज़ोर वर्ग का कोई व्यक्ति वही अपराध करता तो उसे दंड देते । मैं क़सम खाता हूं उसकी जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है कि यदि मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती, तो मैं उसका भी हाथ काटने का आदेश देता ।''

जिस प्रतिष्ठित क़बीले महिला से चोरी का जुर्म हुआ था उसका नाम फ़ातिमा था और आप (सल्ल॰) की चहेती लाडली का नाम भी फ़ातिमा था । आपने लोगों पर यह स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह के क़ानून के मामले में हमारे यहां कोई समझौते और रियायत की गुंजाइश **नहीं** ।

कहने की ज़रूरत नहीं कि उस महिला का **हाथ कटवा** कर नबी (सल्ल॰) ने क़ियामत तक के लिए आदर्श स्थापित कर दिया । यहां अपने-पराये, अमीर-ग़रीब, काले-गोरे, ऊंच-नीच के बीच कोई भेदभाव नहीं । अल्लाह का क़ानून सबके लिए समान है ।

POSTAL LIBRARY

जीवन ज्योति केन्द्र

पोस्टल लाइब्रेरी



Bainy Singh Ki Talaiya
Gohalpur, Jabalpur-482002
Mob. : 9300929747, 9300101373

HUDA BUILDERS & DEVELOPERS

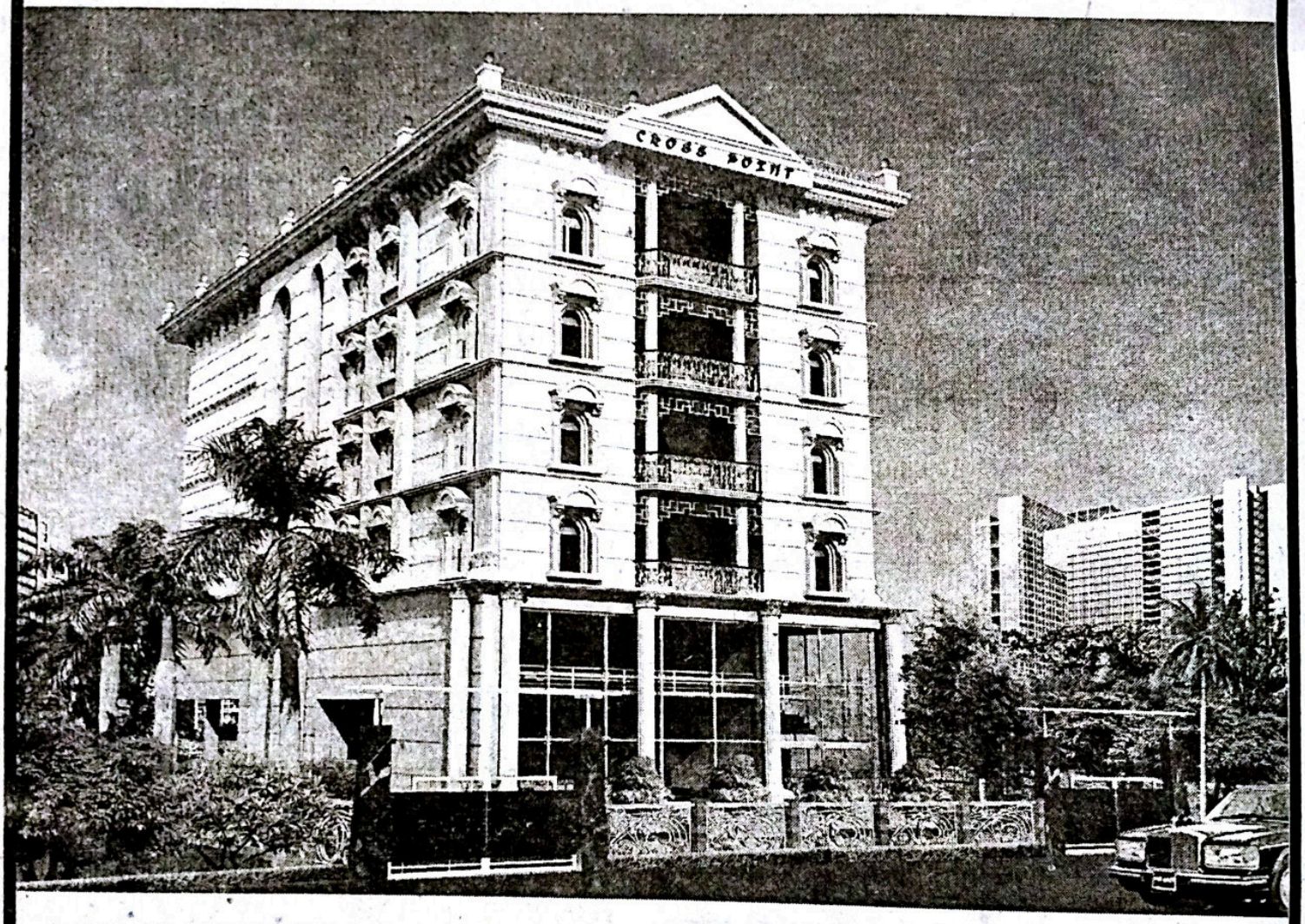

MD. MUKHTAR AHMED

MOBILE NO. : 9820127170

385, Sane Guruji Marg, Next to I.T.I College (Ghass Gali),
Mumbai-400011
Tel. No. : 23482660/23482688/23482762
Fax : 23484245

दलित जहान

सारे इन्सानों जैसा ही मैं हूं इन्सां
कोई बज़ाहिर फ़र्क़ नहीं है
सब में, मुझ में
मां के पेट से मैंने भी है जन्म लिया
शक्लो सूरत बदन की रंगत
सब जैसी है मेरी भी
रोना, हंसना, गाना है मेरी भी फ़ितरत
नहीं किसी से वैर अदावत
मेरी रिवायत प्रेम मुहब्बत
जहां की ख़िदमत !
फिर ऐ दुनिया क्यों है ऐसा ?
जब से मैंने जन्म लिया है
गांव के दक्षिण छोटे से कच्चे पूर्वा में
अपनी मां अपनी बहनों को
घुट-घुट कर ही जीते देखा
बाप ने सारा जीवन
अपना ज़ख़्म सिया है
सबने मिलकर
लम्हा-लम्हा ज़हर पिया है !
ग़म के इस माहौल में मैंने



घुटनों-घुटनों चलना सीखा
सर्दी-गर्मी चाहे हो बरसात का मौसम
दुख की आग में जलना सीखा
ख़ुशी, मुसर्रत आसाइश आराम सुकूं सब
सुनता रहा हूं
लेकिन उनके क्या माना हैं जान न पाया
कभी उन्हें पहचान न पाया !
किसी तरह कुछ पढ़-लिखकर
कोई ओहदा कोई मनसब मिल भी गया तो
जैसे मेरी कुर्सी पर लिख दिया गया हो
शूद्र, दलित, मंहूस, अछूत !
और वह कुर्सी जहां-जहां मैंने छोड़ी है
वहां-वहां वह गंगा जल से पाक हुई !
यानी ऐ बेदर्द ज़माने
रंजो-अलम दुख-दर्द समेटे
ज़िल्लत के ही साथ है जीना
और मर जाना...
क्या बस यही है दलित जहान ?
कब तक यही है दलित जहान !

इन्तिज़ार नईम

2525, बारादरी, बल्लीमारान, नयी दिल्ली-6

इन्सान के नैसर्गिक अधिकार और इस्लाम

❐ मौलाना जलालुद्दीन उमरी

अधिकारों के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का बहुत महत्व है । ये उसे अनिवार्य रूप से मिलने चाहिएं । सामाजिक और सामुदायिक अधिकारों की अवधारणा यह है कि आदमी समाज और समुदाय में सक्रिय भूमिका निभा सके । यह उसका अधिकार है कि उसे बेकार बनाकर न रख दिया जाए । उस पर ऐसी पाबन्दियां न हों कि वह कुछ न कर सके । इस्लाम में इसकी अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट है । इस्लाम विचार और व्यवहार की आज़ादी को मानता है । जो लोग सोच-विचार नहीं करते उनके बारे में वह कहता है कि उन्हें क्या हो गया है कि जानवरों की तरह बिना सोचे-समझे ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं । वे दुनिया के आरंभ और अंत पर विचार करें और समझें । व्यवहार की भी वह पूरी आज़ादी देता है, सिर्फ़ इस बात की पाबन्दी है कि इन्सान कोई ऐसा क़दम न उठाये जिससे बिगाड़ फैले और समाज को हानि पहुंचे ।

अभिव्यक्ति की आज़ादी इन्सान का एक बुनियादी हक़ है । इस्लाम ने उसे यह अधिकार दिया है । उसके नज़दीक इन्सान के उस हक़ पर अनुचित पाबन्दी नहीं लगनी चाहिए । लेकिन वह इस बात का पाबन्द बनाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर वह बेहयाई न पैलाये, किसी का दिल न दुखाये, किसी का मज़ाक़ न उड़ाये, किसी की इज़्ज़त और अस्मिता से न खेले और देश और राज्य को ख़तरे में न डाले और उसके ख़िलाफ़ साज़िश न करे ।

पैग़म्बरों के आह्वान का सबसे पहला आधार एकेश्वरवाद (तौहीद) होता था अर्थात यह कि एकमात्र अल्लाह की इबादत करो और फिर वे कहते थे कि अल्लाह ने अपने क़ानून के ज़रिये ज़मीन में सुधार किया है । इसमें बिगाड़ न पैदा करो । अल्लाह ने अपने क़ानून को भलाई और सुधार का ज़रिया बनाया है । इसकी मौजूदगी में बिगाड़ पैदा न करो ।

अभिव्यक्ति की आज़ादी इन्सान का एक बुनियादी हक़ है । इस्लाम ने उसे यह अधिकार दिया है । उसके नज़दीक इन्सान के उस हक़ पर अनुचित पाबन्दी नहीं लगनी चाहिए । लेकिन वह इस बात का पाबन्द बनाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर वह बेहयाई न पैलाये, किसी का दिल न दुखाये, किसी का मज़ाक़ न उड़ाये, किसी की इज़्ज़त और अस्मिता से न खेले और देश और राज्य को ख़तरे में न डाले और उसके ख़िलाफ़ साज़िश न करे । इन शर्तों के साथ विचार प्रकट करनें की आज़ादी है और दुनिया का कोई क़ानून ऐसा नहीं है, जो उस पर इस तरह की पाबन्दी न लगाता हो । यह और बात है कि आज बहुत सारी चीज़ों की गिनती बेहयाई में नहीं है । उसकी इजाज़त दे दी गयी है ।

यह भी इन्सान का एक अधिकार समझा जाता है कि उसे घर-परिवार बसाने की इजाज़त हो, क्योंकि परिवार इन्सान की फ़ितरी ज़रूरत है । इस मामले में इस्लाम की शिक्षाएं इतनी स्पष्ट हैं कि इसक स्पष्टीकरण की कुछ भी ज़रूरत नहीं है । वह कहता है कि परिवार खुदा का उपहार और इनाम है । आदमी के बच्चों और संतानों का फैलना इस बात के लिए विपत्ति या झंझट नहीं, बल्कि सौभाग्य का कारण है । परिवार के सिलसिले में इससे बड़ी बात और क्या कही जा सकती है ? फिर यह कि इसने परिवार का पूरा सिस्टम दिया है और इसे बनाए रखने की ताकीद की है ।

तंहाई और एकांत को भी इन्सान का एक अधिकार स्वीकार किया गया है । कुरआन ने न सिर्फ़ यह अधिकार दिया है, बल्कि इसकी ताकीद की है कि किसी की निजी ज़िन्दगी में हस्तक्षेप न किया जाए, यहां तक कि हुकूमत को भी इसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है ।

यह भी इन्सान का मौलिक अधिकार स्वीकार किया जाता है और इस्लाम में यह अधिकार पहले से मौजूद है कि

इन्सान को देश और जाति की सेवा का और आलोचना और परिस्थिति में सुधार का अवसर मिलना चाहिए । इस्लाम ने इन्सान को यह अधिकार प्रदान किया है और बताया है कि जो इन्सान देश की सेवा करता है, वह बेहतरीन और आदरणीय इन्सान है । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा कि ताक़तवर मुसलमान कमज़ोर मुसलमान से बेहतर है, क्योंकि ताक़तवर मुसलमान इन्सानों की, समाज और समुदाय की सेवा करेगा । जो कमज़ोर है वह क्या सेवा कर सकेगा । एक अवसर पर आप (सल्ल०) ने कहा कि वह मुसलमान जो लोगों से मिलता-जुलता है, उनकी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है, वह बेहतर है उससे जो न किसी से कि मिलता है और न तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है । क़ुरआन कहता है कि यह इन्सान का हक़ है कि वह सोसायटी के सुधार, भलाई और कल्याण के लिए काम करे । कपटाचारियों से कहा गया कि तुम्हारी कानाफूसियां तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, क्योंकि ये एक तरह की साज़िशें हैं । हां, अगर तुम लोगों की भलाई करने और भलाइयों को फैलाने और बुराइयों को रोकने की बात करो तो यह तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा और अल्लाह बड़ा प्रतिदान प्रदान करेगा ।

(क़ुरआन, 4:114)

यह भी इन्सान का मौलिक अधिकार स्वीकार किया जाता है और इस्लाम में यह अधिकार पहले से मौजूद है कि इन्सान को देश और जाति की सेवा का और आलोचना और परिस्थिति में सुधार का अवसर मिलना चाहिए । इस्लाम ने इन्सान को यह अधिकार प्रदान किया है और बताया है कि जो इन्सान देश की सेवा करता है, वह बेहतरीन और आदरणीय इन्सान है । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा कि ताक़तवर मुसलमान कमज़ोर मुसलमान से बेहतर है, क्योंकि ताक़तवर मुसलमान इन्सानों की, समाज और समुदाय की सेवा करेगा ।

एक और चीज़ जिसकी आज बड़ी चर्चा है, वह है सुरक्षा । इस बात को तो दुनिया स्वीकार करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का अधिकार है । कोई व्यक्ति किसी की जान लेना चाहे, किसी की इज़्ज़त और आबरू पर हमला करे या किसी का माल छीनना चाहे, उसकी जायदाद पर क़ब्ज़ा करना चाहे, उसके घर को आग लगाना और बीवी-बच्चों पर हमला करना चाहे, तो ज़ाहिर है वह ख़ामोश नहीं बैठेगा । उसकी सुरक्षा करेगा, लेकिन इसमें असावधानी दोनों तरफ़ से होती है । कभी तो यह होता है कि सुरक्षा के नाम पर आदमी उन बातों का ख़याल नहीं रखता, जिनका ख़याल रखना चाहिए और कभी यह होता है कि आतंकवाद और हिंसा के नाम पर आदमी को सुरक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है । इस्लाम में सुरक्षा की बहुत स्पष्ट अवधारणा मौजूद है कि सुरक्षा कब होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, वह किन परिस्थितियों में जायज़ है और किस सीमा तक जायज़ है और कहां सीमाओं का उल्लंघन होता है ? ये सभी चीज़ें क़ुरआन और हदीस में मौजूद हैं और हमारे उलेमा और फ़ुक़हा ने भी बड़े विस्तार से इस पर लिखा है । सुरक्षा इन्सान का मौलिक अधिकार है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर अगर अत्याचार हो तो यह ग़लत है । यह व्यक्तिगत सुरक्षा की बात है । देश और देश के बीच जो मुक़ाबला होता है, उसकी यहां बहस नहीं है ।

किसी लोकतांत्रिक संविधान की एक अनिवार्य विशेषता यह समझी जाती है कि उसमें अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्गों के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए, उन्हें दूसरों के समान अधिकार दिये जाएं, उनका अधिकार हनन न होने दिया जाए और उन्हें ज़ुल्म-ज़्यादती से बचाने का उपाय किया जाए ।

इस्लाम के आने से पहले कमज़ोरों के अधिकार अरब में ही नहीं दुनिया में किसी भी जगह सुरक्षित नहीं थे । उनका बुरी तरह शोषण हो रहा था और उन पर ज़ुल्म-ज़्यादती आख़िरी हद को पहुंच चुकी थी । इस्लाम ने शुरू से उनके हक़ में आवाज़ उठायी और उन पर जो ज़ुल्म-ज़्यादती हो रही थी उस पर कठोर दंड की धमकी दी और दुनिया और आख़िरत (लोक-परलोक) में उसके बुरे अंजाम से ख़बरदार किया । उसने औरतों के, अधीनस्थों और शासितों के, बेबसों, बूढ़ों और कमज़ोरों के अधिकार सिर्फ़ बयान ही नहीं

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की जीवनी

हज़रत मुहम्मद (स०) जीवन और संदेश	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	9.00
प्यारे नबी कैसे थे?	इरफ़ान ख़लीली	16.00
प्यारे नबी ऐसे थे !	माइल ख़ैराबादी	10.00
जगत-गुरु	अबू ख़ालिद	50.00
जीवनी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)	मु० इनायतुल्लाह सुब्हानी	80.00
बड़ों की माँए	माइल ख़ैराबादी	10.00
रह्मतुल-लिल-आलमीन	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
विश्व-नायक	डॉ० कौसर यज़दानी नदवी	22.00
विश्व-नेता हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
हज़रत मुहम्मद : एक संक्षिप्त परिचय	डॉ० मुहम्मद अहमद	6.00
हज़रत मुहम्मद एक महान समाज सुधारक	प्रो० मिर्ज़ा रफीउद्दीन अहमद	08.00
हज़रत मुहम्मद का आदर्श	श्री नाथूराम	15.00
हज़रत मुहम्मद सल्ल० का संदेश	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
हज़रत मुहम्मद सल्ल०के संदेशों के मूल तत्त्व	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	4.00
आख़िरी नबी (सल्ल०)	हमूदा अब्दुल आती	05.00
अल्लाह के रसूल का व्यावहार अपने शत्रुओं के साथ	मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	08.00
क्रान्ति-दूत हज़रत मुहम्मद सल्ल०	नईम सिद्दीकी	65.00

परिवार इस्लाम की नज़र में

औरत और इस्लाम	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	24.00
औरत और प्राकृतिक नियम	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इस्लाम और जन्म कंट्रोल	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	45.00
नारी और इस्लाम	मक़बूल अहमद फ़लाही	6.00
परदा	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	80.00
परिवार इस्लाम की नज़र में	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	10.00
बहुविवाह	मौलाना सय्यद हामिद अली	50.00
माँ-बाप के अधिकार	मौलाना सय्यद लुत्फ़ुल्लाह क़ादरी	20.00
मुस्लिम पर्सनल ला और समान सिविल कोड	शम्स पीरज़ादा	12.00
मुस्लिम पर्सनल ला धार्मिक व सामुदायिक...	मौलाना सबरुद्दीन इस्लाही	6.00
मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा समस्या...	उमर अफ़ज़ल	35.00

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

किये, बल्कि व्यावहारिक रूप से उपलब्ध किये और समुदाय तथा समाज को उनके साथ बेहतर से बेहतर आचरण की प्रेरणा दी और सहानुभूति और सहायता की भावना पैदा की ।

मानव अधिकारों के ध्वजावाहक धार्मिक स्वतंत्रता को भी इन्सान का एक अधिकार ठहराते हैं । इस्लाम ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इसका ऐलान किया है । कुरआन कहता है कि अगर अल्लाह चाहता तो सभी लोगों को अपने धर्म का पाबन्द बना देता, कोई उससे बग़ावत न करता । लेकिन अल्लाह ने धर्म के मामले में उसको आज़ादी दी है और उसकी यह आज़ादी बाक़ी रहनी चाहिए । इसी में उसकी परीक्षा है । हुज़ूर (सल्ल०) से कहा गया कि आप सत्य के इन्कारियों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं अर्थात आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि उन्हें अनिवार्य रूप से सीधे रास्ते पर ले आएं, बल्कि यह अल्लाह का काम है । वह जिसे चाहता है, हिदायत देता है । यह भी बताया कि धर्म के सिलसिले में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है । हमारा काम यह स्पष्ट करना था कि हिदायत क्या है, गुमराही क्या । वह कर दिया गया । अब यह आदमी का अधिकार है । जिसका जी चाहे ईमान लाए और जिसका जी चाहे इन्कार कर दे ।

क़ुरआन ने कहा है कि धर्म पर बातचीत भी हो सकती है, लेकिन यह बातचीत शिष्टाचार की सीमा के अन्दर होनी चाहिए । हिदायत है कि धर्म पर बातचीत हो तो सलीक़े और तहज़ीब से हो । इसके लिए ग़लत और अशिष्ट ढंग न अपनाया जाए । हमारे उलेमा ने यहां तक लिखा है कि अगर कोई ग़ैर-मुस्लिम, इस्लामी राज्य में खुलेआम यह कहता है कि मैं क़ुरआन को अल्लाह की किताब नहीं मानता, मुहम्मद (सल्ल०) को अल्लाह का रसूल नहीं स्वीकार करता तो भी इस्लामी हुकूमत उसके ख़िलाफ़ कोई क़दम नहीं उठाएगा । हां, अगर वह बदज़बानी पर उतर आये तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की शान में या हज़रत मूसा (अलैहि०), हज़रत ईसा (अलैहि०) या किसी भी पैग़म्बर की शान में गुस्ताख़ी एक दंडनीय अपराध है । ऐसा करने पर इस्लामी राष्ट्र क़त्ल की सज़ा तक दे सकता है । इसी तरह किसी भी धर्म के संस्थापक या उसकी सम्मानीय विभूतियों का अनादर और अपमान और उनके संबंध में अपशब्द दंडनीय होगा और क़ानून के अनुसार उस पर दंड दिया जाएगा ।

सच्चाई यह है कि अधिकार किसी व्यक्ति या वर्ग को अनिवार्यत: मिलने चाहिएं । इस्लाम वे सभी अधिकार प्रदान करता है और इन्सान की स्वाभाविक अपेक्षाओं (फ़ितरी तक़ाज़ों) की बेहतर ढंग से पूर्ति करता है । सबसे बड़ी बात यह है कि वह दुनिया ही की कामयाबी की नहीं, आख़िरत की कामयाबी और भलाई की भी गारंटी देता है । इसके होते हुए दोनों लोकों (लोक और परलोक) की सफलता के लिए किसी संविधान और किसी जीवन व्यवस्था की ज़रूरत ही बाक़ी नहीं रहती ।

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are — Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya".

(Prof Z.H.Khan) Chairman

(Prof M. B. Zaman) Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

इस्लामी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं

❖ डॉ॰ फ़ज़लुर्रहमान फ़रीदी

तौहीद (एकेश्वरवाद) की अवधारणा यह भी बताती है कि सृष्टि की समस्त वास्तविकताएं एक सार्वभौम एकत्व में पिरोई गयी हैं । प्रकृति की समस्त शक्तियां एक-दूसरे से अन्तर्संबंधित हैं और ये तमाम शक्तियां इन्सान की ज़िन्दगी एर उसी तरह प्रभाव डालती हैं, जिस तरह इन्सानी संघर्ष इन शक्तियों के अनुपात, मात्रा और संतुलन को प्रभावित करता है ।

दुर्भाग्य से आधुनिक सभ्यता के इस आधारभूत वास्तविकता को नज़रअंदाज़ कर दिया है । डेकार्ट (Decorte) के दर्शन और कार्टेज़ियन (Cartesian) के जीवन-दृष्टिकोण ने सबसे पहले ज़ेहन और पदार्थ के बीच सिरे से पृथकता की धारणा प्रस्तुत की । इसके बाद इन्सान को यह सबक़ दिया कि सृष्टि की शक्तियों पर विजय (Conquest of Nature) इन्सान का उद्देश्य है । अत: सोलहवीं सदी ईसवी से तस्ख़ीरे फ़ितरत (सृष्टि पर वर्चस्व प्राप्त कर उसे मानव के अधीन बनाना) की दौड़ शुरू हो गयी । दार्शनिक डेकार्ट का मशहूर कथन है-'इस तरह हम अपने को प्रकृति का शासक और स्वामी बना लेंगे ।''

यही वह दौड़ है जिसे हम टेक्नॉलोजी की तरक़्क़ी, आर्थिक प्रगति, जीवन-स्तर की बुलंदी, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति जैसे नामों से परिभाषित करते हैं । प्रगति की इस दौड़ और तस्ख़ीरे फ़ितरत ने इस संघर्ष ने मानवता के इतिहास की गति को अत्यंत तीव्र का दिया है । तब्दीलियां और क्रांतियां अब क्षणों के सफ़र हो गये हैं । टेक्नॉलोजी के सफ़र ने हेनरी एडम की खोज के अनुसार इन्सानी इतिहास के सफ़र को बहुत तेज़ कर दिया है । वह कहता है-'1800 और 1900 के दर्मियान दुनिया ने अपने सफ़र की रफ़्तार दुगनी या तीगुनी नहीं की है, बल्कि साइंस के ज्ञात मापदंड के अनुसार सोसायटी की तथाक़थित प्रगति की रफ़्तार 1900 में, 1800 के मुक़ाबले हज़ार गुना ज़्यादा है ।'

इस द्रुत गति की प्रगति के नतीजे में क़ुदरत के ख़ज़ानों

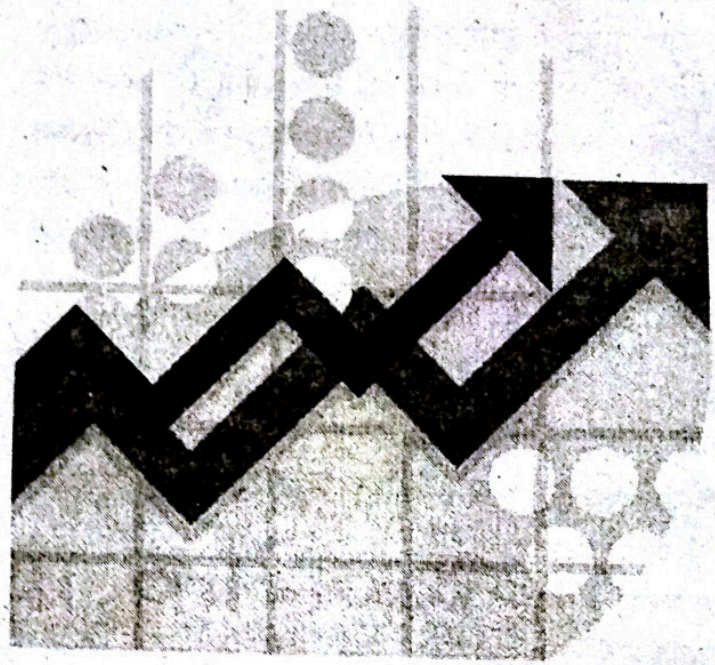

और पर्यावरण पर जो व्यापक दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उनका अध्ययन करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों की खोजबीन के अलावा यू॰एन॰ओ॰ के पूरक संस्थानों की रिपोर्टों का अध्ययन करना लाभप्रद होगा ।

साइंस टेक्नॉलोजी और आर्थिक प्रगति की अकल्पनीय प्रगति ने इन्सान को सर्वज्ञ ख़ुदा के स्थान पर स्थापित करने का सशक्त रुझान पैदा कर दिया है । जिस तरफ़ भी हम निगाह दौड़ाएं इन्सान को इन्सानपरस्ती से मदहोश देखते हैं । वे ऐसे काम कर रहे हैं जो कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं कर सकता । हम इन्सानों की ऐसी क़िस्म देखते हैं जो इसी यक़ीन से सरमस्त हैं कि वे ही सर्वशक्ति संपन्न हैं, बल्कि वस्तुत: वही ख़ुदा हैं ।

तौहीद यह भी शऊर देती है कि जिस तरह सृष्टि की रचनाएं और प्राकृतिक संसाधन इन्सान की ज़िन्दगी और उसके व्यवहार से एक सुस्थापित व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, उसी तरह इन्सानी ज़िन्दगी के बहुत से पहलू एक-दूसरे से परस्पर सामंजस्य क़ायम किये हुए हैं । वर्तमान विज्ञान सर्वांगीण एवं सार्वभौम परिप्रेक्ष्य के सिरे से नज़रअंदाज़ करता है, इसका ज्ञान आंशिक तथ्यों की भिज्ञता पर केन्द्रित रहता

धन का न्यायपूर्ण वितरण

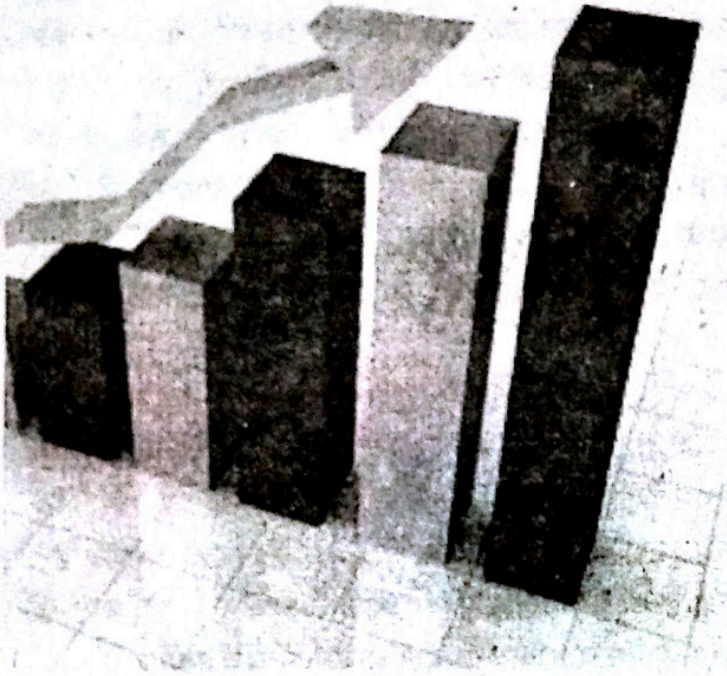

है–और 'अंश' को 'कुल' से समरस करने की हर कोशिश को अयथार्थवादी कहकर उसका अपमान करता है । इसी तरह सामाजिक ज्ञान भी इन्सान की ज़िन्दगी को टुकड़े-टुकड़े करके देखते हैं । उनकी नज़र में प्रयोग व विश्लेषण एक मात्र अनुसंधान का तरीक़ा है । उनकी राय में जीवन के विभिन्न पहलुओं को एक-दूसरे से अन्तर्निहित करके देखना विज्ञान नहीं धर्म का काम है ।

इस्लामी दृष्टिकोण

इस्लाम की तौहीद (एकेश्वरत्व) की अवधारणा सृष्टि को इन्सान से जोड़ती है, उसकी ज़िन्दगी को एक वहदत (एकत्व) मानती है । यह इस दीन (धर्म) की विशिष्टता भी है और उसकी मूलभूत शिक्षा भी । अतएव इस्लाम विभिन्न बिखरी हुई शिक्षाओं का संग्रह नहीं हैं, बल्कि एक इकाई है जो विभिन्न अंशों को एक सूत्र में पिरोता है ।

इस्लाम की इस विशिष्टता का लाज़िमी तक़ाज़ा है कि उसकी अपेक्षित क्रांति आंशिक नहीं बल्कि पूर्ण हो । वह शाखाओं, कोंपलों और पत्तों को नहीं बल्कि जड़ और तने सबको आमूल बदल डाले । वर्तमान के वैचारिक परिप्रेक्ष्य में अपनी जगह बनाना उसे अपेक्षित नहीं है, बल्कि वह इस परिप्रेक्ष्य, दर्शन और जीवनशैली को जड़ से उखाड़ कर ऐसे विकल्पनीय दृष्टिकोण को आच्छादित करना चाहता है जो तौहीद से समरस हो । उसकी दृष्टि में आंशिक वास्तविकता की अहमियत पूर्ण वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में समझी जा सकती है । इन तथ्यों की सही तरीक़े से बरतना भी उसी वक़्त संभव है जब पूर्ण वास्तविकता से उसका संबंध बरक़रार रहे, वरना सृष्टि के विधान में उपद्रव उत्पन्न होगा ।

मुसलमानों में जो प्रबुद्ध वर्ग इस हक़ीक़त को नज़रअंदाज़ करता है, वह न तो इस दुनिया को बदल सकता है और न उसे उस भयंकर परिणाम से बचा सकता है, जिसकी तरफ़ वह अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों के साथ सहर्ष दौड़ रही है । अगर मुसलमान भी अंधाधुंध आर्थिक प्रगति से प्रभावित होकर उसे अपना उद्देश्य मान लेंगे तो अपनी अमूल्य निधि भी गंवा देंगे, इन्सानियत को बचाना तो दूर रहा ।

मानवता आर्थिक एवं प्रोद्यौगिक प्रगति के जिस पागलपन में इस वक़्त मुब्तिला है वह अब ढकी-छुपी हक़ीक़त नहीं रह गयी है, बल्कि उसके सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक दुष्फलों के तहत जनसाधारण विभिन्न समस्याओं से त्रस्त हैं । इस क्रांति का इस्लाम आवाहक है, वह उम्मत को इस उपद्रवी व्यवस्था के तहत मात्र सुविधाएं उपलब्ध करने से कभी नहीं आ सकती है और न इस उपद्रव को प्रतिकूल स्थिति कहकर छूटों का दरवाज़ा चौपट खोलने से यह क्रांति आ सकती है ।

ठीक इसी तरह वर्तमान के उद्देश्य को शऊरी या ग़ैर-शऊरी तौर पर स्वीकार करके सामाजिक ज्ञानों को इस्लामी बनाने की हर जिद्दोजेहद महज़ एक कपोल कल्पना है । इससे न तो ये ज्ञान विशुद्ध इस्लामी बन सकते हैं और न इन्सानियत को ऐसी राह दिखा सकेंगे जो उसे मौजूदा पागलपन से निकाल सके ।

इस बुनियादी हक़ीक़त को नज़रअंदाज़ करके किसी पूर्ण परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती । वर्तमान के उद्देश्य उसकी कार्य पद्धति और उसकी विचारधारा सब इस्लाम के विपरीत हैं । इसके वैचारिक धरातल को समूल

नष्ट करने के बाद ही इन्सानियत की मुक्ति संभव है । मात्र आंशिक परिवर्तनों का स्थापित व्यवस्था के भीतर गुंजाइश निकालने से न मिल्लत (मुस्लिम समुदाय) के उद्देश्य की ओर अग्रसरता संभव है और न मानवता का कल्याण और मुक्ति संभव है ।

इस त्रुटिपूर्ण संघर्ष की दो महत्वपूर्ण मिसालें हैं । दोनों मिसालों ब्याज (सूद) की समस्या से संबंधित हैं । एक मिसाल तो यह है कि जो भारत और भारत से बाहर कुछ उलमा (धार्मिक विद्वान) के फ़तवों से संबंधित हैं । इन फ़तवों की दो बुनियादें हैं । एक यह कि मौजूदा बैंक-ब्याज वह 'रिबा' (ब्याज) नहीं है जिसे कुरआन ने हराम क़रार दिया है । दूसरी बुनियाद यह है कि उम्मते मुस्लिम हालते इज़्तरार (प्रतिकूल हालात) में मुब्तिला है । हालते इज़्तरार में हराम भी हलाल हो जाता है । भारतीय मुसलमान ग़रीब और साधनहीन है और अर्थव्यवस्था ब्याजाधारित है, जिसके बग़ैर वे न तिजारत कर सकते हैं और न पूंजी-निवेश । ऐसी सूरत में ब्याज की पूंजी के सिद्धांत के तहत जायज़ हो जाता है, या कम से कम गवारा किया जा सकता है ।

इन उलेमा और बुद्धिजीवियों को सूदी अर्थव्यवस्था के समर्थक एक अर्से से यह समझाते आ रहे हैं कि 'रिबा' तो ज़ालिमाना सूद था जो उपभोक्ताओं पर लगाया जाता था । मगर बैंक सूद तो पूंजी निवेश पर लगाया जाता है, यह तो कम आमदनी वालों के लिए नेमत है । वह इससे मकान बनवा सकता है, वाहन ख़रीद सकता है, टी०वी०, फ्रिज ख़रीद कर अपने जीवन स्तर को सुधार सकता है । इसलिए बैंक सूद ज़ालिमाना रिबा नहीं है । उपभोक्ताओं के क़र्ज़ों पर सूद के तो हम भी विरोधी हैं ।

फिर अन्य अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग तो सरकार के सूदी क़र्ज़ों से फ़ायदा उठाकर कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित कर रहे हैं और सामान्य रूप से अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना रहे हैं अगर भारतीय मुसलमान सूद से बचेंगे तो और भी निर्धन और साधनहीन हो जाएंगे तथा पिछड़ जाएंगे ।

कुछ उलेमा इन दलीलों से बहरहाल प्रभावित हैं और विभिन्न गुंजाइशें निकाल रहे ताकि 'मुसलमान बेचारा' इस साधनहीनता से निजात पा सके । उनके इरादे नेक भी हैं और निष्ठापूर्ण भी, लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान की अर्थव्यवस्था, उसके लक्ष्य और सूदी लिमात के इस्लाम की बुनियादों से विरोधाभास से बेख़बर हैं । इन रायों की शरई बुनियाद पर इस वक़्त वार्ता करना हमारा मक़सद नहीं है । इसकी वजह यह है कि उलेमा और इस्लामी अर्थशास्त्री 'रिबा' और बैंक सूद के समानार्थी होने पर गहन विचार-विमर्श कर चुके हैं ।

इस वक़्त हमारी बहस सिर्फ़ इस पहलू तक सीमित रहेगी कि सूदी अर्थव्यवस्था, इस्लामी जीवनशैली और उसके मौलिक न्यायवादी पक्ष से किस तरह टकराती है और इसके परिणाम जनसाधारण के हितों के लिए कितने हानिप्रद हैं ।

बैंक सूद के बारे में सबसे पहले यह हक़ीक़त ख़ूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस अवधारणा पर क़ायम है कि मुद्रा उसी तरह तिजारत का माल है जिस तरह अन्य वस्तुएं । सूद इसी तिजारत के माल की क़ीमत है । जिस तरह अन्य वस्तुओं के व्यापारी का लाभ इस बात पर निर्भर है कि वह कितना माल बाज़ार में बेच सकता है, उसी तरह मुद्रा के व्यापारी का लाभ भी उसके विक्रय पर निर्भर है । अपने सामूहिक लाभ को बढ़ाने के लिए वस्तुओं के व्यापारी अन्य तरीक़ों के अलावा अपनी बिक्री (Sale) बढ़ाने की कोशिश करते हैं । ठीक उसी तरह मुद्रा के व्यापारी भी अपने माल की बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं । सादा शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा क़र्ज़ देना चाहते हैं ।

इसलिए पहले बैंक नोट और काग़ज़ी सिक्कों को रिवाज दिया गया, लेकिन मुद्रा-प्रसार की बढ़ती हुई हविस का साथ काग़ज़ी करंसी भी न दे सकी । इसलिए बैंक के क़र्ज़ों, प्रतिभूतियों, क्रेडिट कार्ड आदि ने नियमित हैसियत अपना ली ।

बैंकिंग प्रणाली के इस प्रयास ने मुद्रा निर्माण (Creation of Credit) का नाम अपनाया । मुद्रा-निर्माण का यह विधान अपनी बुनियादी हैसियत में एक अत्यंत सरल पद्धति पर आधारित है । लेकिन इसका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि इसने इन्सान के धन के लालच पर लगने वाली हर रुकावट दूर कर दी । मुद्रास्फीति जो कि वर्तमान की सबसे बड़ी मुसीबत है, इसी मुद्रा-निर्माण का परिणाम है । उपभोक्ता

वस्तुओं की बढ़ती हुई क़ीमतों ने एक ओर ग़रीब जनता को और ग़रीब बना दिया है, दूसरी तरफ़ ग़रीब और अमीर के बीच आमदनियों के अन्तर को अधिक से अधिकतर कर दिया है । यह बात याद रखने की है धन का अन्यायपूर्ण वितरण केवल पिछड़े एवं विकासशील देशों की विशेषता नहीं है, बल्कि अत्यंत विकसित देशों में भी अन्तर मौजूद हैं और बढ़ता जा रहा है ।

मुद्रा-निर्माण का अति महत्वपूर्ण और दीर्घकालीन नतीजा यह है कि प्राचीन अवधारणा के विपरीत धन केवल वास्तविक दौलत पर स्वामित्व और स्वाधिकार को नहीं करते, बल्कि यह अब उस दौलत पर लागू होता है जो बैंक लेजर, बैलेंस शीट, बांड्स, सेक्युरिटीज़ (प्रतिभूतियां) ज़मानतों आदि के रूप में पायी जाती है । इस दौलत का हक़ीक़ी दौलत से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता । इस दौलत का प्रचार मात्र एक काल्पनिक और मनो-वैज्ञानिक अमल है । मनोवैज्ञानिक आशंकाओं के नतीजे में इसमें सैकड़ों या हज़ारों अरब डॉलर की कमी हो जाए तो हक़ीक़ी कम नहीं होती । हक़ीक़ी दौलत से हमारा आशय निर्मित वस्तुएं, आवागमन के साधन, भवन, कृषि पैदावार आदि है ।

ब्याज और मुद्रास्फीति एक-दूसरे के पुरक हैं । इसका कारण बैंकों की मुद्रा-निर्माण की क्षमता है । यद्यपि मुद्रास्फीति के अन्य बहुत से कारण अर्थशास्त्री बताते हैं, लेकिन इन तमाम कारणों की जड़ें किसी न किसी तरह उसी मुद्रा-निर्माण से जुड़ी हैं । ब्याज़ धन को किस तरह द्रुत गति से बढ़ाता है, इसे समझने के लिए एक काल्पनिक उदाहरण पेश किया जाता है । अगर आप एक पेंस (Penny) (अल्पता का महत्व नहीं, बल्कि आशय एक अत्यंत अल्प राशि में है) 2000 साल पहले चार प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा करें तो सन 1750 में आपकी पूंजी संपूर्ण भू-भाग के वज़न के बराबर सोना ख़रीद सकती है । और सन 1990 में यही पूंजी 8000 भू-भागों के वज़न के बराबर सोना ख़रीद सकती है । और अगर यही पूंजी (यानी एक पेंस) पांच प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की जाए तो 15वीं सदी के अंत तक इसी वज़न का सोना ख़रीद सकती है और 1990 तक 2000 करोड़ भू-भागों के वज़न के बराबर सोना ख़रीद सकती है । यद्यपि यह एक काल्पनिक मिसाल है, तथापि इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस प्रणाली के तहत वित्तीय दौलत कितनी द्रुत गति से बढ़ सकती है ।

मानवता आर्थिक एवं प्रोद्यौगिक प्रगति के जिस पागलपन में इस वक़्त मुब्तिला है वह अब ढकी-छुपी हक़ीक़त नहीं रह गयी है, बल्कि उसके सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक दुष्फलों के तहत जनसाधारण विभिन्न समस्याओं से त्रस्त हैं । इस क्रांति का इस्लाम आवाहक है, वह उम्मत को इस उपद्रवी व्यवस्था के तहत मात्र सुविधाएं उपलब्ध करने से कभी नहीं आ सकती है और न इस उपद्रव को प्रतिकूल स्थिति कहकर छूटों का दरवाज़ा चौपट खोलने से यह क्रांति आ सकती है ।

लेकिन इस कृत्रिम या काल्पनिक दौलत का सबसे अहम नतीजा यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने में जब वित्तीय साधन रुकावट नहीं बन सकते । जीवन स्तर को ऊंचा करने की पागल-दौड़ जिसकी कोई मंज़िल है न सीमा, मानवता अनभिज्ञ है । इसी कृत्रिम और अवास्तविक दौलत के कटु परिणाम हैं–एक मशीनी सोसायटी एक मशीनी इन्सान । जुल्म, शोषण, दमन इसके माध्यम हैं । संयुक्त राष्ट्र की उपसंस्था UNDP के अनुसार पिछले दशक की आर्थिक प्रगति एक अनोखे अनुभव से गुज़री है, जिसमें वित्तीय आमदनी में तेज़ी से इज़ाफ़ा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन न रोज़गार बढ़ रहे हैं और न उत्पादन । आज के भारत में भी आप देखेंगे कि वित्तीय प्रबंधन पर नियुक्त लोगों के वेतन, इंजीनियर और उत्पादन संभालने वालों के मुक़ाबले दस से ज़्यादा गुना ज़्यादा हैं । सीमित प्राकृतिक संसाधनों को ख़रीदने के लिए असीमित साधनों में पर्यावरण संतुलन भ्रष्ट कर दिया है । सामाजिक मूल्यों को पामाल कर दिया है ।

INFORMATION BROCHURE



- Almanar Social Service a registered society. Bridging the gap between giving and receiving ends.

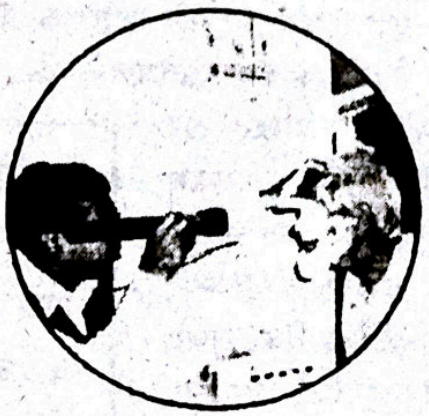

- Working in the field of education, health and employment generation.
- A unique charitable institution in Jharkhand.



- Projects in progress : Model primary school, Health

المنار سوشل سروس

Almanar Social Service

(An NGO registered societies Act XXI of 1860

President
Abul Arif
(M.Sc.)

Office : Jharna Road, Near Eidgaah Azadnagar,
Jamshedpur-832110
Tel. : +91-657-6542806, +91-9279149654

Secretary
Haider Imam
(B.com. PG Dip)

Our Bank A/c No. 29601010007675

CANARA BANK

Kabir Memorial School, Zakir Nagar, Mango, Jamshedpur (Jharkhand)

निर्धनता की बेचारगी और बेबसी में अकल्पनीय तेज़ी पैदा कर दी है ।

इस के सामाजिक परिणामों में हिंसा, नशाख़ोरी, अश्लीलता, यौन-उन्मुक्ता हर ओर दिखायी दे रही है । संपन्न लोग इसमें मस्त हैं, जबकि ग़रीबों की एहसास महरूमी ने नफ़रत, बग़ावत और समाज से खिन्नता की मनोवृत्ति को जन्म दिया है । जिसके पास यह कृत्रिम दौलत है, वह तो मस्त है ही, जो इससे वंचित है वह भी चूहों की दौड़ (Rat Race) में लिप्त है ।

सूदी निज़ाम और उसकी मुद्रा-निर्माण विशेषता का यह एक करिश्मा है, जिसका स्वभाव, उद्देश्य, प्राथमिकताएं सब कुछ उस जीवन-व्यवस्था के प्रतिरोधी हैं, जिसका इस्लाम आवाहक है, । कुरआन की यह टिप्पणी संभवत: इसी जैसी सरमस्ती पर चरितार्थ होती है–'तबाही है हर उस शख़्स के लिए जो लोगों पर कटाक्ष और पीठ पीछे बुराइयां करने का आदी है, और जिसने माल जमा किया और उसे गिन-गिनकर रखा । वह समझता है कि उसका माल उसे अमरता प्रदान कर देगा ।' (104:1-3)

दूसरी जगह आया है–'ऐ नबी इनसे कहो कि क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने अमल में सबसे ज़्यादा नाकाम और नामुराद लोग कौन हैं, वे कि दुनिया की ज़िन्दगी में जिनकी सारी जिद्दोजेहद राहेरास्त से भटकी रही और यें समझते रहे कि वे सब कुछ ठीक कर रहे हैं ।' (18:104)

सूदी निज़ाम के समर्थकों का यह दावा कि इसके ज़रिये निर्धन एवं साधनहीन, लेकिन क्षमतावान लोगों को ज़रूरी पूंजी उपलब्ध हो जाती है, इसकी सहायता से वे तिजारत कर सकते हैं, पूंजी-निवेश करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति मज़बूत कर सकते हैं–बिल्कुल खोखला है और वास्तविकता छुपाने की एक भ्रामक चाल है । बैंकिंग प्रणाली में क़र्ज़ उन्हें दिया जाता है, जो ज़मानत फ़राहम कर सकते हैं । यानी क़र्ज़ लेने वाला पहले से ही सक्षम हो तो उसे बैंक पूंजी उपलब्ध करता है । निर्धन और साधनहीन लोगों को पूंजी उपलब्ध करना इसका उद्देश्य रहा है । इस तरह वह क्षमतावानों के प्रति भेदभाव करता है । इसी हक़ीक़त की आंशिक स्वीकारोक्ति की वजह से सरकारें केवल कुछ विशिष्ट क़र्ज़ के इच्छुकों को प्रत्यक्ष रूप से ज़मानत उपलब्ध करती हैं, ताकि एक हद तक इस सूरतेहाल से निबटा जा सके । वरना सूदी वित्तीय व्यवस्था की कार्यशैली से पूंजीपति को और पूंजी मिल जाती है तथा अन्यायपूर्ण धन के वितरण की खाई और चौड़ी हो जाती है । इसके अलावा यह कि सूद पूंजी का विक्रय मूल्य है । इसलिए बैंक ऐसे क़र्ज़ के इच्छुकों को पसन्द करता है जो ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय मूल्य अदा कर सकें । ज़ाहिर है कि यह क्षमता पहले से ही संपन्न पूंजीपतियों के पास ही होती है ।

ज़्यादा और जल्दी हासिल होने वाले लाभ का एक नतीजा यह भी है कि बैंकों की पूंजी का एक बड़ा हिस्सा बहुत से देशों में माफ़िया को हस्तांतरित हो गया है । जापान की एक रिपोर्ट के अनुसार वहां बैंकों के ऋण का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा माफ़िया ग्रुपों को हस्तांतरित हो गया है । (टाइम्स ऑफ़ इंडिया, 29 जनवरी 1994)

सूदी निज़ाम का यह ज़ुल्म सिर्फ़ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुष्परिणामों का दायरा देशों तक फैला है । विकासशील और पिछड़े देशों को सहायता के नाम पर जो ऋण दिये जाते हैं उनका जो 'सर्विस चार्ज' होता है वह कभी-कभी नये क़र्ज़ों से अधिक होता है । कुछ पिछड़े देश जैसे लैटिन अमेरिका, अफ़्रीक़ा के विभिन्न देशों का यह हाल है कि वे न तो पुराने क़र्ज़ों की वापसी की स्थिति में होते हैं और न नये क़र्ज़ों के आधार पर प्रगति एवं कल्याण योजनाओं को लागू कर पाते हैं । सरकारी क़र्ज़ों के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के क़र्ज़ों के बोझ का अंदाज़ा इस तरह भी किया जा सकता है कि निजी बैंक अपने पुराने क़र्ज़ों को बचाने के लिए सरकारों को दीवालिया होने का एलान करने से रोकने के लिए और क़र्ज़ उपलब्ध करते हैं ।

कुछ साल पहले ऐसी सूरतेहाल को दूर करने के लिए इंग्लैंड की एक एसोसिएशन ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि पिछड़े और विकासशील देशों (विशेषकर लैटिन अमेरिका और अफ़्रीक़ा) के पचास प्रतिशत क़र्ज़ निरस्त कर दिये जाएं । भारत की वार्षिक 'सर्विस चार्ज' का बिल भी 75 प्रति 100 डॉलर के क़रीब नज़र आता है । यह ब्याज ही का करिश्मा है कि सहायता ऋण रहमत के बजाय ज़हमत बन जाते हैं । इस सिलसिले में यह बात भी याद रखने की

है कि ये सहायता ऋण ऐसे देशों को लाभांवित नहीं करते जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है । जैसे सोमालिया और नाइजीरिया जो दसियों साल से अकाल और भुखमरी के शिकार हैं । इनकी ज़रूरत यह है कि वे व्यापक पैमाने पर कृषि में पूंजी लगाएं । बंजर भूमि को उपजाऊ बनाएं और सिंचाई की योजनाएं लागू करें, ताकि वे इस निर्धनता और अकाल से मुक्ति पा सकें । लेकिन सूदी पूंजी इन देशों की सहायता से कोसों दूर रहती है ।

ब्याज़परक धन की एक विशेषता यह भी है कि वह उपलब्ध संसाधनों का इस तरह वितरण करता है कि विलासिताओं के साधनों की पैदावार बढ़ती रहे । इसलिए कि इसमें लाभ की दर आवश्यक वस्तुओं से ज़्यादा होती है । इसके स्वाभाविक नतीजे के तौर पर विक्रय-वस्तुओं की पैदावार के लिए पूंजी की कमी हो जाती है । देशी-विदेशी पूंजी की इस अन्यायपूर्ण तक़सीम से ग़रीब और अमीर के बीच खाई और चौड़ी हो जाती है । इसको समझने के लिए पिछले एक दशक में भारत में निजी पूंजी निवेश की वरीयताओं पर सरसरी नज़र डालना काफ़ी होगा । इंसेक, जंक फूड (जैसे आलू के चिप्स), विलासिता के साधन कार, फ्रिज, टी०वी० में तेज़ी से पूंजी निवेश हुआ है और आगे भी होगा । ग़रीब जनता के लिए न साफ़ पानी उपलब्ध है और न दवाएं और न बेहतर यातायात के साधन । न सड़कें, न रहने के लिए मकान और न शिक्षा की सुविधाएं इसलिए कि सरकार के पास पूंजी की बहुत कमी है और देशी व विदेशी पूंजी निवेशकों को इन मामलों में दिलचस्पी नहीं है ।

ब्याजपरक अर्थव्यवस्था की एक विशेषता और भी है, वह यह है कि वह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कम अवधि के लिए पूंजी-निवेश पसन्द करता है । अत: वह मुद्रा की अन्तर्राष्ट्रीय क़ीमत को अपनी कार्यशैली से बढ़ाता और घटाता है और इसमें लाभ अर्जित करने के लिए सट्टे (Speculation) से भी काम लेता है । निजी पूंजी निवेशक करंसी और शेयर्स-सेक्युरिटी ख़रीदता और बेचता है और यह काम वह ज़्यादातर कम मुद्दत वाले सर्टिफिकेट्स के ज़रिये पूरा करता है । इस कार्यशैली से वह विश्व स्तर पर आर्थिक अस्थिरता पैदा करता है और आंतरिक स्तर पर यही काम अंजाम देता है । इसकी सबसे क़रीबी मिसाल मलेशिया के डॉलर की विनिमय दर में असाधारण गिरावट है लगभग 50 प्रतिशत । जिससे मलेशिया की विकासशील अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा । किसी उद्योग या किसी देश के पूंजी निवेश को तबाह करने का यह बहुत प्रभावी तरीक़ा है, जिसे वर्तमान के अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी निवेशक बड़ी बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं । अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार-चढ़ाव की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी सूदी पूंजी निवेशक के सिर जाती है । खुली अर्थव्यवस्था मलेरिया बुख़ार की तरह कंपित होती रहती है, वह सूदी पूंजी निवेश का कारनामा है । अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी निवेशक किसी सुपर पावर के इशारे पर यह काम कर सकते हैं । जैसा कि मलेशिया का हाल का अनुभव भी बताता है, अर्थात अर्थव्यवस्था की अस्थिरता सूदी पूंजी निवेश का प्रत्यक्ष प्रतिफल है । सूदी पूंजी निवेश का सबसे स्पष्ट असर अन्यायपूर्ण आय के वितरण और धन के असमान वितरण के रूप में ज़ाहिर होता है । अर्थ विशेषज्ञों को इस बात का एतिराफ़ है कि आर्थिक नाइन्साफ़ी, आयों की असाधारण अन्तर, जुल्म व शोषण का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी कारक यही सूदी अर्थव्यवस्था है । सूदी क़र्ज़ और मुद्रा निर्माण की असीम संभावना ने जुल्म व नाइन्साफ़ी को वर्तमान में बढ़ावा दिया है, उसका तफ़्सीली जायज़ा लेकर कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि सूद वर्तमान की नाइन्साफ़ियों की जड़ है । एक लेखक ने सूदी क़र्ज़ को दुनिया को गुलाम बनाने का सफलतम हथियार घोषित किया है ।

क़ुरआन ने संभवत: इसीलिए सूद खाने वालों को इन शब्दों में बयान फ़रमाया है–'मगर जो लोग सूद खाते हैं, उनका हाल उस शख़्स जैसा होता है जिसे शैतान ने छूकर पागल कर दिया हो ।' (2:275)

और सूद में लिप्त लोगों को सचेत किया–'लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से तुम्हारे ख़िलाफ़ एलाने जंग है ।' (2:278)

भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर आप ऐसे उद्योगपतियों और व्यापारियों का जायज़ा लें तो सूदी क़र्ज़ से अपना काम कर रहे हैं तो आप पर यह हक़ीक़त स्पष्ट हो जाएगी कि

सूदी क़र्ज़ का बोझ कितना कमर तोड़ता है । अगर आपने एक बार सूदी क़र्ज़ ले लिया तो आप ज़िन्दगी भर उसे वापस करने की पोज़ीशन में नहीं आ सकते । इसकी वजह यह है कि अगर उद्योगपति ने सूदी क़र्ज़ वापस किया तो उसे इंकम टैक्स के दायरे में आना होगा । अगर आप क़र्ज़ वापस कर सकते हैं तों यह इस बात का सुबूत है कि आपका लाभ इंकम टैक्स के नियम के तहत टेक्स के क़ाबिल है । जब तक उद्योगपति या व्यापारी अपनी आमदनी से सौदा करता रहता है, उसी वक़्त तक वह सुरक्षित रहता है । क्योंकि सूद को उत्पादन के ख़र्च में डाला जाता है । इस कारण उद्योगपति व्यापारी एक क़र्ज़ को दूसरे क़र्ज़ में तब्दील करने की कोशिश में उम्र भर लगा रहता है । वह क़र्ज़ अदा नहीं कर सकता, वह ईमानदारी से अपने एकाउंट भी पेश नहीं कर सकता । इंकम टैक्स, क़र्ज़ की वापसी की क़िस्तें और सूद मिलकर कभी-कभी उसके लाभ से ज़्यादा हो जाते हैं । इसलिए मौजूदा तमाम सूदी निज़ाम में अस्ली और नक़ली खाते रहने और एक विशिष्ट ऋण को दूसरे ऋण में तब्दील करने के अलावा कोई चारा बाक़ी नहीं रहता ।

ब्याजाधारित वित्तीय व्यवस्था वर्तमान धर्म विमुख जीवन-व्यवस्था और स्थापित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और सूदी क़र्ज़ों की अंतहीनता इसका आधार है । इस जीवन-व्यवस्था से इससे अलग नहीं किया जा सकता ।

फ़िक्ही रुख़्सतें पैदा करके इस्लाम को उसमें फ़िट करना मुमकिन नहीं है । जो लोग यह समझते हैं कि सूदी पूंजी मात्र एक 'फ़रअ' है, इस फ़रअ से लाभ उठाते हुए मुस्लिम मिल्लत की हालत बेहतर बनायी जा सकती है, वे अपने इस इरादे में इस हद तक तो शायद कामयाब हो जाएं कि मिल्लत की सरमायाकारी और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए लेकिन वे इस तरह दीने हक़ की बुनियादों को और उसके मक़ासिद को ऐसी गहरी चोट लगाने में ग़ैर-शऊरी तौर पर धर्म विमुख व्यवस्था के सहायक बन जाएंगे, जिसके दुष्परिणाम मानवता भुगत रही है । इस तरह वे मिल्लत की अस्ल पहचान को तबाही के किनारे तक पहुंचा रहे हैं । उस कल्याणकारी और न्यायवादी व्यवस्था का सौदा कर लेंगे, जिसका इस्लाम आवाहक और अलमबरदार है । यह सरासर घाटे का सौदा है ।

ख़ुशक़िस्मती से मिल्लते इस्लामिया की कोशिशों से इस्लामी बैंकिंग व्यवस्था का पिछले दशकों का अनुभव बहुत कामयाब रहा है । यह कामयाबी उसे अत्यंत प्रतिकूल हालात में मिली है । जबकि आधुनिक वित्तीय व्यवस्था उसकी राह में सख़्त रुकावटें पैदा कर रही है और सरकारें उसे शक की निगाह से देख रही हैं और उपेक्षा एवं विरोध की रविश पर आमादा हैं ।

इस सिलसिले में एक आशावर्धक पहलू यह भी है कि सूदी निज़ाम के बुरे नतीजों से परेशान होकर आधुनिक नियम-सिद्धांत अपना रही है, जिसमें म्युचुवल फंड (Mutual Fund) और एक्वीटीज़ स्कीमें प्रमुख हैं ।

मुस्लिम मिल्लत की दोषपूर्ण जिद्दोजेहद की दूसरी मिसाल इस्लामिक बैंकिंग की मौजूदा रविश में भी देखी जा सकती है, जो दो दशकों के तजुर्बे के दौर से गुज़र रही है । इस्लामी बैंकिंग के पक्षधर अपनी जिद्दोजेहद को सिर्फ़ 'रिबा' (ब्याज़) के ख़ात्मे और वर्तमान बैंकिंग सिस्टम के विकल्प के तौर पर इस्लामी बैंकिंग को पेश कर रहे हैं । लेकिन वे इस संगीन हक़ीक़त को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं कि वर्तमान अर्थव्यवस्था की समस्या सिर्फ़ ब्याज से संबंधित नहीं है, बल्कि असीमित मुद्रा निर्माण से भी संबंध रखती है । अगर एक विकल्पनीय बैंकिंग व्यवस्था भी इस असीमित और अवास्तविक पूंजी पर निर्भर रही तो वर्तमान की विकट समस्याओं का हल नामुमकिन है । असीमित और अवास्तविक पूंजी इसी तरह पैदा की जाती रहेगी और निज़ामे फ़ितरत की लूट-खसोट इसी तरह जारी रहेगी । जिसका लाज़िमी नतीजा निज़ामे फ़ितरत (प्राकृतिक संतुलन व्यवस्था) के संतुलन को तबाह करने के रूप में ज़ाहिर होगा ।

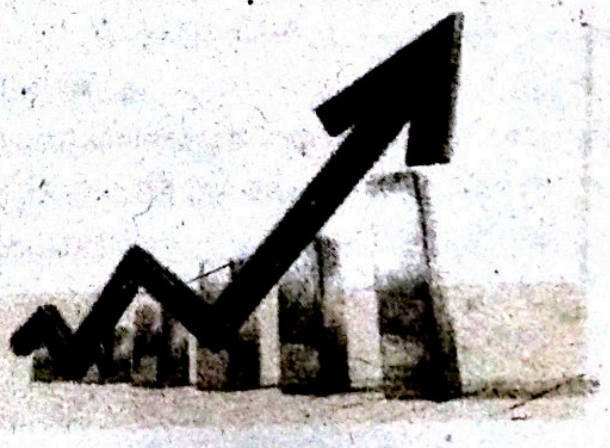

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

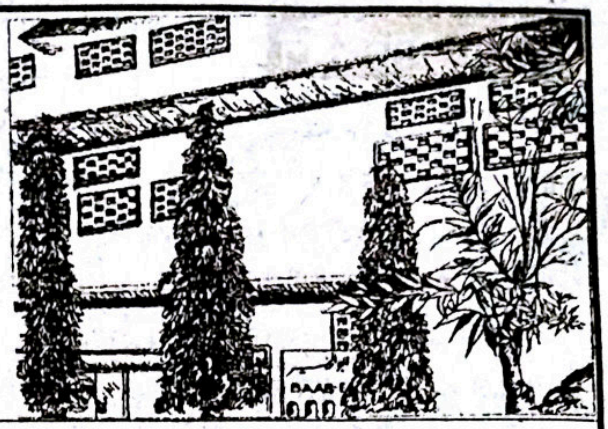

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

● 24 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा ● 6 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई : 6 बैच 70 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 3 बैच 40 छात्राएं ● 1993 ई० से 2010 ई० तक 63 अनाथ बच्चियों और 37 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 13 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 8000/- रुपये है–आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 73000/- रुपये ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में खुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

.....पता.....

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA

☎ 0631-2734437 ● Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

BANK A/C NO.: 7752 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010007752

संस्थापक महासचिव

इक़बाल अहमद ख़ां

ब्याज का निषेध

■ सैफ़ुल्लाह

कुरआन मजीद में अल्लाह तआला का फ़रमान है—मगर जो लोग ब्याज (सूद) खाते हैं उनका हाल उस आदमी जैसा होता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो। और इस स्थिति में उनके फंस जाने का कारण यह है कि वे कहते हैं : "व्यापार भी तो आख़िर सूद ही जैसी चीज़ है।" हालांकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल किया है और सूद को हराम। इसलिए जिस व्यक्ति को उसके रब की ओर से यह नसीहत पहुंचे और आगे के लिए वह सूदख़ोरी से रुक जाए, तो जो कुछ वह पहले खा चुका सो खा चुका, उसका मामला अल्लाह के हवाले है और जो इस आदेश के बाद फिर उसी हरकत को दोहराये, वह जहन्नमी है, जहां वह हमेशा रहेगा। अल्लाह ब्याज का मठ मार देता है और सदक़ों को बढ़ाता-चढ़ाता है। और अल्लाह किसी नाशुक्रे (कृतघ्न), बदअमल (दुष्कर्मी) इन्सान को पसन्द नहीं करता। हां जो लोग ईमान ले आएं और नेक अमल (अच्छे कर्म) करें और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें, उनका बदला बेशक (निस्सन्देह) उनके रब के पास है और उनके लिए किसी डर और रंज का मौक़ा नहीं।

ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाक़ी रह गया है, उसे छोड़ दो अगर सचमुच तुम ईमान लाए हो। लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया तो आगाह (सचेत) हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से तुम्हारे ख़िलाफ़ लड़ाई का ऐलान है। अब भी तौबा कर लो (और सूद छोड़ दो) तो अपना अस्ल सरमाया (मूल धन) लेने के तुम हक़दार हो। न तुम ज़ुल्म करो, न तुम पर ज़ुल्म किया जाए। (2:275-279)

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया : लानत (धिक्कार) है सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूदी लेने-देन के गवाहों पर तथा सूदी लेन-देन की दस्तावेज़ लिखने वाले पर। (बुख़ारी, मुस्लिम) रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया : सूदख़ोरी के सत्तर हिस्से हैं, इनमें सबसे छोटा और मामूली ऐसा है जैसे कोई अपनी मां के साथ मुबाशिरत (ज़िना) करे। (इब्ने माजा) एक और हदीस में आप (सल्ल०) ने फ़रमाया : सूद का एक दरहम भी जिसको आदमी जान-बूझकर खाये छत्तीस बार ज़िना करने से बढ़कर संगीन जुर्म और गुनाह है।

नबी (सल्लं०) ने फ़रमाया : "जब तुम में से कोई शख़्स किसी को क़र्ज़ दे तो अगर वह मक़रूज़ शख़्स इसे कोई हदया दे या इसे सवारी के लिए अपना जानवर पेश करे तो न वह इस पर सवार हो और न इस हदया (तोहफ़ा) को क़बूल करे मगर यह कि इन दोनों के दर्मियान पहले से इस तरह का मामला होता रहा हो। (इब्ने माजा) रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया : सूद (से हासिल किया हुआ माल) चाहे कितना ही ज़्यादा हो जाए मगर इसका अंजाम क़िल्लत और कमी है। (मुसनद अहमद, इब्ने माजा)

हज़रत समुरा इब्ने जुंदुब (रज़ि०) कहते हैं कि अल्लाह के नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया : आज रात मैंने देखा कि दो आदमी मेरे पास आये। वे मुझे एक मुक़द्दस सरज़मीन की ओर ले गये। वहां से हम तीनों आगे चले यहां तक कि ख़ून की एक नदी के पास पहुंचे जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ था। नदी के किनारे एक और आदमी था और उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े थे। वह आदमी जो नदी में खड़ा था, निकलने के लिए आगे बढ़ता है तो किनारे पर खड़ा आदमी उसके मुंह पर पत्थर मार कर उसे वहीं पहुंचा देता है जहां से वह चला था। इसी तरह बराबर हो रहा था—वह निकलने की कोशिश करता और यह उसके मुंह पर पत्थर मारकर लौटा देता। नबी (सल्ल०) ने पूछा : यह जो ख़ून की नदी में खड़ा है, कौन है ? तो उन दोनों आदमियों में से एक ने कहा : यह वह व्यक्ति है जो दुनिया में ब्याज़ खाता था। (बुख़ारी)

रिबा का अर्थ अरबी में 'ज़्यादा और बढ़ा हुआ होना है' अरब के लोग इसका प्रयोग उस ज़्यादा रक़म के लिए करते थे जो एक क़र्ज़ देने वाला अपने क़र्ज़ लेने वाले से एक तयशुदा दर के हिसाब से मूलधन के अलावा वुसूल करता है। इसी की हमारी ज़बान में सूद (ब्याज़) कहते हैं। सूदख़ोर लोगों के हुक़ूक़ को रौंद करके और इनका ख़ून चूस कर ही अपनी दौलत को बढ़ाता है। इसे ख़बर नहीं होती कि वह लोगों का ख़ून जमा कर रहा है जो दरिया बन जाने वाला है। और वही इसकी क़िस्मत साबित होगा। इससे निकलना इसके लिए मुमकिन न होगा। आदमी की शख़्सियत उसके आमाल से बनती है। शख़्सियत जैसी होगी इसे झुठलाया नहीं जा सकेगा।

Required Doctors

(Urgently)

FOR WELL KNOWN AND WELL EQUIPPED 30 BEDDED HOSPITAL,

1. Female Gynaecologist. (M.D/M.S/DNB/DGO)
2. Paediatrician (M.D/DNB/DCH)
3. Physician (M.D/DNB)
4. Orthopaedic Surgeon (M.S/DNB)
5. Duty Doctors (MBBS)

Salary offered : Negotiable

FACILITIES AVAILABLE :

★ ICU,
★ CCU,
★ NICU,
★ Ortho Operation Theatre,
★ General OPeration Theatre,
★ Minor Operation Theatre,
★ 24/7 Well Equipped Lab and Pharmacy and X-Ray Unit,
★ Casualty and
★ Labour Theatre.

Welfare Hospital

(A unit of Bhatkal Health Care Ltd.)
Post Box No. 19, Sultan Street, Bhatkal, Karnataka-581 320
Contact : +91-9980564282, +91-9902105448

इस्लाम में रोज़गार की आज़ादी

■ **अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी**

इस्लाम ग़ैर-मुस्लिमों को रोज़गार की आज़ादी की ज़मानत देता है, चाहे वे अपना अलग कोई काम करें या मुसलमानों के साथ मिलकर कोई काम करें । जो भी पेशा वे चाहें अपनाएं । उन्हें इसकी भी आज़ादी है कि मुसलमानों ही की तरह जैसे चाहें, विभिन्न प्रकार की आर्थिक सरगर्मियों में हिस्सा लें ।

फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) का कहना है कि क्रय-विक्रय, व्यापार एवं आर्थिक मामलों में ज़िम्मी (इस्लामी राज्य में रहने वाले ग़ैर-मुस्लिम) और मुसलमानों की हैसियत एक समान है । सूदी कारोबार मुसलमानों ही की तरह उनके लिए भी अवैध है । खुद अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने हजर के मजूसियों (अग्नि-पूजकों) को लिखित संदेश भेजा था कि सूदी कारोबार छोड़ दो अन्यथा अल्लाह और उसके रसूल के विरोध का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ ।

इसी प्रकार ज़िम्मियों को मुसलमानों की बस्तियों में शराब एवं सूअर बेचना अवैध है । साथ ही शराबख़ाने खोलने एवं शराब के विज्ञापन पर भी पाबन्दी है । ऐसा बुराइयों का दरवाज़ा बन्द करने के उद्देश्य से किया गया है । मुसलमानों पर भी यह सब पाबन्दियां लागू होती हैं ।

इन गिने-चुने मामलात को छोड़कर ज़िम्मियों को व्यापार एवं उद्योग के मामले में पूर्ण आज़ादी दी गयी है और इसी नियम पर हमेशा अमल भी हुआ है । मुसलमानों के इतिहास के विभिन्न काल इसके गवाह हैं । आर्थिक लेन-देन जिसे आज बैंकिंग कहते हैं तथा चिकित्सा एवं दवा-निर्माण का धंधा तो ग़ैर-मुस्लिमों के लिए विशेष था । अधिकतर मुस्लिम देशों में निकट अतीत तक यह सिलसिला चलता रहा है और अब भी किसी हद तक बाक़ी है । इन धंधों के माध्यम से ग़ैर-मुस्लिम हमेशा काफ़ी दौलत जमा करते रहे हैं, जबकि जिज़्या के अतिरिक्त उन पर न ज़कात देना अनिवार्य था न कोई टैक्स । जिज़्या के नाम पर भी उन्हें बहुत मामूली रक़म देनी पड़ती थी ।

एडम मैथ्यूज लिखते हैं : ''इस्लामी शरीअत में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, जो ज़िम्मियों के लिए किसी काम का दरवाज़ा बन्द करती । उन उद्योग-धंधों में जो अति लाभदायक थे, उनके क़दम जमे हुए थे । चिकित्सा, जड़ी-बूटी द्वारा दवाओं का निर्माण, व्यापार एवं जागीरदारी में लगभग उनका एकाधिकार था, बल्कि ज़िम्मियों ने अपने आपको इस प्रकार से संगठित कर लिया था कि शाम (सीरिया) में आर्थिक लेन-देन करने वाले बड़े-बड़े लोग अधिकतर यहूदी होते थे और चिकित्सा एवं कार्यालय-प्रबंधक का काम अधिकतर ईसाई करते थे । बग़दाद में ईसाइयों का नेता ख़लीफ़ा का चिकित्सक था और ख़लीफ़ा के पास अग्रणी यहूदियों की बड़ी संख्या थी ।''

कुछ विशिष्ट पद उदाहरणतः इमामत, सेनापतित्व, राज्य का नेतृत्व, न्यायाधिपतित्व का पद जो मुसलमानों के मामलों का फ़ैसला करे तथा ज़कात व सदक़ों का प्रबंध व निगरानी आदि के पद जो दीन (इस्लाम-धर्म) से विशेष संबंध रखते हैं के अतिरिक्त अन्य सरकारी पदों पर मुसलमानों ही की तरह ग़ैर-मुस्लिमों की भी नियुक्ति की जाती थी ।

इस्लाम में इमामत (धार्मिक नेतृत्व) एवं ख़िलाफ़त (राजनीतिक नेतृत्व) का पद सांसारिक एवं धार्मिक दोनों हैसियत रखता है । अतः इन पर किसी ग़ैर-मुस्लिम की नियुक्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि इस्लामी शिक्षाओं एवं

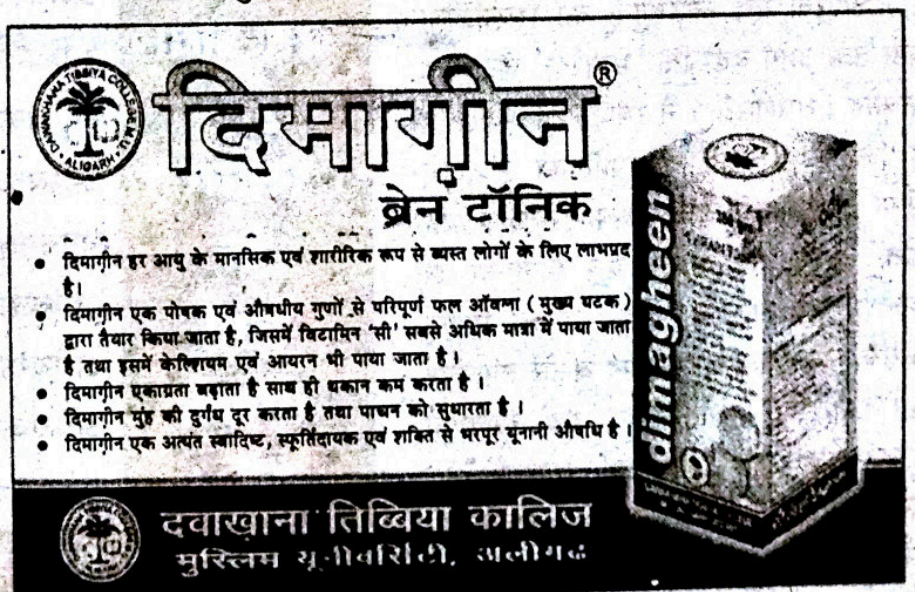

निर्देशों से वाक़िफ़ कोई मुसलमान ही इन पदों की ज़िम्मेदारियों को भलीभाँति निभा सकता था । इसी प्रकार सेनापतित्व को विशुद्ध सांसारिक कार्य नहीं समझा जाता था, बल्कि इस्लाम में इसे इबादतों का हिस्सा समझा जाता ।

इसी प्रकार क़ज़ा (न्याय-व्यवस्था) का मतलब इस्लामी शरीअत के अनुसार फ़ैसला करना था, जो इस्लामी शरीअत को मानता ही न हो, उससे इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने की अपेक्षा कैसे की जा सकती थी । ज़कात एवं सदक़ात की निगरानी के काम भी दीनी (धार्मिक) काम थे ।

इनके अतिरिक्त रियासत के अन्य सभी पदों पर ज़िम्मियों की नियुक्ति की जा सकती थी, शर्त यह थी कि उनमें संबंधित पदों की योग्यता एवं राज्य के साथ वफ़ादारी एवं ईमानदारी की भावना भी हो, वे मुसलमानों की दुश्मनी ही पर हर समय कमर न कसे रहते हों । स्पष्ट है कि योग्यता, ईमानदारी, निष्ठा एवं पद के अनुसार वफ़ादारी हर समाज में अनिवार्य चीज़ समझी जाती है । इस ओर क़ुरआन में इस प्रकार संकेत किया गया है :

"ऐ ईमान वालो ! अपनों के अतिरिक्त किसी को भेदी न बनाओ, वे तुम्हारी ख़राबी में कमी नहीं करते । तुम जितना तकलीफ़ में रहो, उनके लिए ख़ुशी है । शत्रुता उनकी ज़बान से निकली पड़ती है, और जो कुछ उनके मन में छिपा है वह इससे बहुत अधिक है । हमने तुमको पते बता दिये, यदि तुम्हें अक़्ल हो ।

(क़ुरआन, 3:118)

उदारता एवं सहिष्णुता का सिलसिला यहां तक आगे बढ़ा कि 'मावरदी' जैसे बड़े फ़क़ीह (धर्मशास्त्री) ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ज़िम्मी को कार्यपालिका मंत्रालय सौंपा जा सकती है । इसका मतलब यह होता था कि वह इमाम एवं ख़लीफ़ा के आदेशों को लागू करे और उनका पालन कराये । जिस प्रकार एक पद वज़ीरे तफ़वीज़ का होता था अर्थात् इमाम एवं ख़लीफ़ा राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों की देखभाल की ज़िम्मेदारी किसी वज़ीर को सौंपता था ।

अब्बासी काल में कार्यपालिका मंत्रालय के पद पर कई बार ईसाई नियुक्त हुए । जैसे नसर बिन हारून 369 हि॰ में तथा ईसा बिन नसतूरस 380 हि॰ में । ख़ुद हज़रत अमीर मुंआविया (रज़ि॰) का एक सेक्रेट्री सर जॉन एक ईसाई था ।

इस सिलसिले में कभी-कभी मुसलमानों की उदारता इस हद तक बढ़ जाती थी कि मुसलमानों के अधिकार प्रभावित होने लगते थे और मुसलमानों में अयोग्य यहूदियों एवं ईसाइयों के पदस्थापन से असंतोष फैलने लगता था । एडम मैथ्यूज लिखते हैं : "जिन मामलात पर हमें आश्चर्य होता है उनमें एक इस्लामी देशों में ग़ैर-मुस्लिम पदाधिकारियों एवं उच्च पदस्थ अधिकारियों की बहुलता भी है । ऐसा लगने लगता है कि इस्लामी देशों में मुसलमानों पर शासन वास्तव में ईसाई कर रहे थे । ज़िम्मियों के प्रति अत्यधिक उदारता प्रकट करने की मुसलमानों की शिकायत बहुत पुरानी है ।"

(इस्लामी सभ्यता चौथी शताब्दी में, खंड-1, पृष्ठ 105)

प्रो॰ मुहम्मद क़मरुज़्ज़मा

9826809922
9826689853

पापुलर ट्रेवल्स

लग्जरी बस सेवा 2/2 (स्लीपर) के लिए सम्पर्क करें ।

अम्बिकापुर से बिलासपुर	रात्रि	23:20
अम्बिकापुर से रायपुर	प्रात:	03:00
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	21:30
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	22:25
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	22:30
मननगढ़ से डाल्टेनगंज	रात्रि	19:10
अम्बिकापुर से मंननगढ़	संध्या	05:00
अम्बिकापुर से चीरमीरी	प्रात:	06:30
अम्बिकापुर से मननगढ़	संध्या	16:10
रायगढ़ से डाल्टेनगंज	रात्रि	21:40

राम मंदिर के पास, अम्बिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)

अंधी आस्थाओं का मायाजाल

❖ मैत्रेयी पुष्पा

सदियों से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं का अनुसरण न करना पाप है तो उन धारणाओं पर सवाल उठाना अपराध । हमारे समाज के नियम ऐसे ही हैं, जिनमें वैज्ञानिक हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं । इस निषेधाज्ञा के इर्द-गिर्द भय का घेरा बनाया हुआ है, जिससे सामान्य आदमी डरता रहता है । इसी भय के विपरीत अमरनाथ की धार्मिक यात्रा पर जाते हुए लोगों को स्वामी अग्निवेश ने चेताया था । तमाम टी०वी० चैनलों ने उस चेतावनी को प्रसारित किया, मगर प्रचारित यह हुआ कि अग्निवेश हमारे धर्म के दुश्मन हैं और जनता की आस्था पर यह कहकर चोट कर रहे हैं कि जो शिवलिंग ज़रा-से ताप से पिघलने लगता और ख़त्म होता जाता है, वह किसी दूसरे की क्या रक्षा कर सकता है ? वह तो सरकारी अमला बाहर से बर्फ़ लाकर उसे दोबारा बनवाता है और इसी के सहारे पर्यटन विभाग लोगों की जेब के आधार पर चलता है । अगर यह अंधी आस्था न हो तो हम अपने घरों में भी शिवलिंग रखकर पूज सकते हैं ।

तर्क, दलील, सवाल और वैज्ञानिक साक्ष्य भगवानों की दुनिया में नहीं चलते । यहां तो आदमी को हर ओर से अंधा, बहरा और गूंगा करने के बाद ही स्वीकार किया जाता है कि वह भक्त है, आस्थावान है, त्यागी है । ऋषियों की वाणी और जादुई चमत्कार उसके जीवन का सच हैं । और ऐसे ही पाखंडों को हमने भी ज़िन्दगी का सच माना ।

हम स्वामी अग्निवेश के जिस बयान को खरा मान रहे हैं, उस पर हमारे धार्मिक समुदाय ने खोटे की मुहर लगा दी । इस खोटे वक्तव्य पर अग्निवेश अपनी माता से लेकर धरती माता के ऐसे कपूत साबित किये गये जिन पर माएं अपनी कोख के लिए अपमानित होती हैं ।

अमरनाथ यात्रा के अनुष्ठान को पंडे-पुजारियों और सरकार का धार्मिक उद्योग या धंधा कह देना गुस्ताख़ी का सबब बना । हम और आप सब देखते हैं कि घर-घर में समाये टी०वी० चैनलों पर तिलकधारी पंडितों, कीर्तनियों और कथावाचकों के साथ भविष्यवाणी कर्ताओं का अपना कारोबार चल रहा है । वे हमें किसी आपदा, संकट या प्रलय से रोज़ डराते हैं । जो अग्निवेश की तरह नहीं डरेगा उसे अधर्मी कहा जाएगा । साधु होकर धार्मिक कर्मकांडों की पुण्यपावनी परंपरा पर सवाल उठाने वाला यह कौन दुष्ट आया ? इसका संहार करो ।

साधु समाज एक स्वर से अग्निवेश की भर्त्सना कर रहा है । तब हमारी समझ में आया कि हिन्दू समाज में चेतना की रोशनी लाने वालों को जगह क्यों नहीं मिलती ? क्यों ये बाबा, स्वामी, संत, महंत नित नयी जादूगरी के साथ चमत्कार दिखा कर जनता को सम्मोहित करते हैं ।

दुख-दर्द के मारे लोगों का मनमाना शोषण करने के लिए ये धार्मिक सिंहासन पर बैठ कर कई हक़ पा जाते हैं । और ये सिंहासन इन्होंने राजनीतिक हल्क़ों से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक फैला दिये हैं । बेशक यहां इनको मुक्त होकर अपना काम करते रहने का अभयदान मिला हुआ है । क्यों न मिले, ये चुनाव में जीत, घर में सुख-समृद्धि और विश्व में वैभव की गारंटी लिए रहते हैं और ये धार्मिक व्यापारी देश के बड़े से बड़े व्यावसायी से कम नहीं ।

देश से लेकर विदेशों तक बाबाओं, गुरुओं और स्वामियों के आधिपत्य में अरबों-खरबों की संपत्ति दबी-बिखरी पड़ी है । ऐसी माली हालत किस ज़रिये बनी ? इस देश का किसान या मज़दूर अपनी रोटी जुटाने के लिए तरसता है और बाबा लोग ढोंग-पाखंड के दम पर मौज उड़ा रहे हैं । तर्क, दलील, सवाल और वैज्ञानिक साक्ष्य भगवानों की दुनिया में नहीं चलते । यहां तो आदमी को हर ओर से अंधा, बहरा और

गूंगा करने के बाद ही स्वीकार किया जाता है कि वह भक्त है, आस्थावान है, त्यागी है । ऋषियों की वाणी और जादुई चमत्कार उसके जीवन का सच हैं । और ऐसे ही पाखंडों को हमने भी ज़िन्दगी का सच माना । गणेश दूध पी रहे हैं, दर्शन के लिए जनता उमड़ पड़ी । वैष्णो देवी हमारे देखते-देखते कटरा में स्थापित की गयीं और गुलशन कुमार ने कीर्तन-भजनों की सी॰डी॰-कैसेट का करोड़ों का व्यापार किया ।

जय संतोषी माता को कौन जानता था ? किसी ने धार्मिक क़हानी की छोटी-सी पोथी छपवा दी और स्त्रियों की दुनिया में चमत्कार हो गया । फिल्मक़ारों ने जल्दी से जल्दी इस धार्मिक फंडे को भुनाया । माता पर फिल्म बना दी, जो बरसों चली । औरतों ने शुक्रवार का व्रत अक्सर फिल्म देखने के बाद तोड़ा ।

तो यह है हमारी आस्था, जो दिन-रात अपने लिए वरदानों की भीख मांगती रहती है । हमारे यहां किसी दूसरे के लिए अच्छा सोचने का अभ्यास नहीं । जो हो, हमारे लिए हो । और इस भावना के बीच वर्चस्व की व्यवस्था में हैं । हम धर्म की अंधी गलियों में विचरण करते हुए अज्ञानी बने रहें यही सुख है, यही संतोष । औरत क़ा तो संतोषी माता वाला आदर्श मुक़र्रर है । गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांध कर रहना पतिव्रताओं का अभीष्ट है ।

इन बातों को सवालों के बीच ले जाना धर्म के ख़िलाफ़ जाता है और हमारी आंखों की पट्टी खोलने का दुस्साहस जो करेगा धर्म का मुजरिम हो जाएगा । यह अनिष्टकारी अधर्मी क्या इस यज्ञ, हवन, पुजापे, चढ़ावे और दिखावे से महमहाती दुनिया में रहने योग्य है ? जिसके दिमाग़ में तर्क की चकरी चलती हो, वैज्ञानिक कसौटी फिट हो, उसके सिर को क़लम करने का धार्मिक अधिकार रखने का दावा करते हैं हमारे संत-महंतों के जत्थे । वे थानों और कचहरियों में पैठ बना सकते हैं और चेतना संपन्न बौद्धिक लोगों को कठघरों में खड़ा कर सकते हैं ।

कर्मकांड और पाखंड जिस पवित्र कर्म को कहा गया है, उस पर कोई न कोई दफ़ा लगायी जा सकती है, क्योंकि जादू-टोना, गंडा-तावीज़ के अलावा धूनी और बूटियों का चलन हमारे समाज की जनता के बड़े भाग में सक्रिय है । ऐसी जगह डॉक्टर की दलीलें नहीं चलतीं, क्योंकि बाबाओं का साम्राज्य है । समाज में मन्नत की घुट्टी रोज पिलायी जाती है और बहकी हुई जनता जिधर हांकी जाती है, वह चलती जाती है ।

यह हमारे समाज की पतनगाथा अपने रूप में राजनीतिक और प्रशासनिक आकाओं को दिखती नहीं या नज़रअंदाज़ की जाती है, यह शोध का विषय है । या जो आस्था का मतलब समझते हैं, वे भी क्यों अंधविश्वासी हो जाते हैं ? वे सब जानते हैं कि मंदिरों-मठों के नाम पर हड़पी हुई ज़मीन अब धार्मिक-भ्रष्टाचारों की फ़सल उगा रही है । दिन में प्रवचन चलते हैं, रात में मंदिर के गर्भ-गृह बाबाओं के शयनकक्ष हो जाते हैं ।

वहां कुंआरी लड़कियों के हिस्टीरिया का शमन होता है और चिरबांझ स्त्रियों को पुत्र प्राप्त होते हैं । दिन में कीर्तन की ताल पर नाचने वाली भक्तिनों को क्या पता कि रात में किस-किस की ब्लू फ़िल्म बनेगी और यह बाबा रूपी भगवान उसकी ज़िन्दगी को ब्लैकमेलिंग पर उतार कर अश्लीलता का बाज़ार खोल देगा । औरत भी क्या करे, बंद घरों से बाहर निकलने का रास्ता मंदिर की ओर ही जाता है, क्योंकि मान्यता यह भी है कि बाबा, स्वामी, संत जैसे व्यक्ति पुरुष नहीं होते, महात्मा होते हैं । महात्माओं पर

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **INTEREST-FREE SOCIETY :** Provides short-term loan without interest to needy people.
4. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your cheque/draft in favour of the society

(Q. Hoda) Chairman — *(Prof. M. B. Zaman)* Secretary

JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

आस्था टिकी है ।

अपनी ज़िन्दगी दांव पर लगाकर जब कोई लड़की बाबाओं के कुकर्मों का चिट्ठा खोलती है तो समाज सकते में आ जाता है । मगर कितनी देर ? प्रभु के दूत की एफ॰आई॰आर॰ लिखाने वाली किसी लड़की ने स्वामियों के मठ या आश्रम बंद कराये हैं क्या ? ये बाबा शाबाशी के पात्र हैं कि अपने व्यभिचार को बराबर धार्मिकता के बाने में पेश करते रहते हैं और बराबर देवताओं के सम्मोहन की मूठ लोगों पर चलाते रहते हैं ।

ये दांवगीर बौखला गये जब एक सवाल इनकी ओर उछला । इनके शांत, सुन्दर और पवित्र सरोवर में खलबली मची कि नीचे छिपी गन्दगी ऊपर तैरनी लगी । कैसे छिपायी जाए अपनी ठग विद्या ? बस उन्होंने मोर्चा साध लिया, धर्म का फरसा उठा लिया । क्यों न उठाएं, उनके मंत्रोच्चारों का क्या होगा ? पूजा-पाठ की पवित्र विधियां फ़िज़ूल पड़ी रह जाएंगी । सती प्रथा बंद हुई, धर्म की कितनी हानि हुई ! औरतें अधर्मी हो गयीं । आज दुस्साहस देख लो कि पति और पति-परिवार के ख़िलाफ़ थाने-कचहरियों में जाने लगी हैं । पति को परमेश्वर मानने का धर्म छोड़ दिया ।

ऐसा चौकन्नापन बाबाओं की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में न रहे तो अब तक अंध विश्वासों और कर्मकांडों की जड़ें उखड़ न जातीं । कितनी लंबी परंपरा चली है कि शताब्दियां गुज़र गयीं और ये हिली नहीं ? इस धार्मिक साम्राज्य की नींव हिलाने उसका अपना ही सहवेशी साधु चला आया, इसके बुद्धिव्यसन की बलिहारी है । यह नादान नहीं जानता क्या कि जनता को जगाना हमारा धर्म नहीं, धर्म की अफ़ीम देकर सुला देना अपने हित में है ।

हानि लाभ पसु पच्छी जाना-अपने तुलसीदास बाबा कह गये हैं तो फिर साधु सुभाय वाले लोग क्यों नहीं जानें ? अधिकार की भावना मनुष्य में जन्मजात होती है । बचपन में वह खेल-खिलौनों से लेकर मां के दूध पर अधिकार रखता है तो जवान होकर संपत्ति और सभी पर हक़ मानता है । तपस्वी होकर भी जंगलों और महात्मा-संत के रूप में मठ-मंदिरों का स्वामी बनता है । कैसा विरोधाभास है कि यही स्वामी और मलिक आम आदमी को भक्ति, सेवा और समर्पण का पाठ निरंतर कराता हुआ उसकी जेब काटता रहता है । यह आस्था कैसी है ?

आस्था तो उन उपलब्धियों पर होनी चाहिए, जो मनुष्य और समाज को ज़िन्दगी की कसौटी पर कसने के बाद प्राप्त होती हैं, मगर यहां तो खाने-कमाने के धंधे फैले हैं, ठगी के फार्मूले ईजाद किये जाते हैं, जिनमें डायन हत्या, शिशु हत्या को जायज़ा माना जाता है, क्योंकि आस्था और संस्कार सारे दूषण-प्रदूषणों के परे हैं । इनकी दी हुई भभूत वायुमंडल के शुद्धीकरण का उपाय है । कैसे मनोहारी पवित्र रंगों का तंबू बनाया था धर्म-धुरीणों ने, अचानक तंबू में सवालों का ऊंट घुस आया कि जतन से जोड़े अंजर-पंजर बिखर गये ।

एहतिशाम ख़ान मोबाइल : 09425842976

पब्लिक ट्रैवेल्स

सिवनी से मंडला	प्रात: 7:20
सिवनी से छिंदवाड़ा	प्रात: 7:55
छिंदवाड़ा से बालाघाट	प्रात:10:30
मंडला से सिवनी	दिन 12:50
बालाघाट से सिवनी	सायं 6:00
सिवनी से नैनपुर	सायं 5:40
नैनपुर से सिवनी	दिन 12:20

प्रतिदिन

नोट : शादी व पार्टियों के लिए 33, 40 एवं 50 सीटर बस उपलब्ध है संपर्क करें-

एहतिशाम ख़ान, बस स्टैंड, सिवनी (मध्य प्रदेश)

उपयोगिता

हुलास बाबू रोज़ की भांति मार्निंग वाक करते हुए, अपने घर को लौट रहे थे, कि उनके आगे चल रही विदुषियों के वार्तालाप के इस अंश ने उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया, "ये बूढ़े लोग रिटायर होते ही एक बेकार और फालतू चीज़ हो जाते हैं...घर बैठे-बैठे घर वालों का दिमाग़ चाट जाते हैं ।"

इतना सुनते ही हुलास बाबू ने अपनी चाल धीमी कर दी और इतनी दूरी बनाये रहे कि उनकी शराफ़त शक के दायरे में न आने लगे और उन विदूषियों के वार्तालाप को ठीक से सुनते भी रहें ।

"अब देखो न मेरे ससुर को, सुबह-शाम घूमने निकल जाता है बुड्ढ़ा...और दिन भर या तो बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है...या अख़बार पढ़ लिया या सो गया...दिन भर चाय की सिरदर्दी, उसको खाना भी समय पर चाहिए...नहीं तो बेटे पर रोब ग़ालिब करेगा...तुझे इसी दिन के लिए...!"

"अरी बहन ! इतना होता तो ग़नीमत थी कहीं निकलना हो, तो सारे इसी मुसीबत के, कहीं आ-जा भी नहीं सकते किसी को अपने घर बुला भी नहीं सकते...न जाने कब इससे...।"

"यूं भी जिस चीज़ की उपयोगिता न हो...वह सिरदर्द बन ही जाती है कुछ और हों तो मगर ज़िंदा इन्सान को, कहां क्या करें फिर ये समाज...।"

हुलास बाबू का रक्तचाप बढ़ने लगा, उनकी गति, उन्हें पता भी न चला कब स्वत: ही तेज़ हो गयी और वह उन विदुषियों से काफ़ी आगे निकल गये । यह सोचते हुए कि क्या मैं भी घर की फालतू वस्तु ही हूं ? रिटायर होने के बाद क्या अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं है ? बेशर्म की बाढ़ की तरह स्वत: उपजे इन प्रश्नों ने उन्हें इतना तनावग्रस्त कर दिया कि वह बहुत तेज़ी से घर आकर सोफ़े पर बैठकर हांपने से लगे ।

"क्या बात है, बाबू जी ! तबीयत तो ठीक है ?" बेटे ने पिता को हांपते देखकर पूछा ।

नहीं कोई बात नहीं है । मैं बिल्कुल ठीक हूं ।" अपने मनोभावों को छिपाने का असफल प्रयास करते हुए वे बोले ।

"नहीं बाबूजी, कोई बात तो है । आज़ आप सहज नहीं हैं ।" बेटे ने कुछ घबराते हुए कहा ।

"कहा न, कोई बात नहीं है...तुम नाहक़ ही परेशान हो रहे हो...फिर बेटा, अब उम्र भी हुई बूढ़े बेकार पिता के लिए परेशान न हो ।"

"क्या कहा बाबूजी ! बूढ़ा बेकार...नहीं बाबूजी, आप मेरे लिए न तो बूढ़े हैं...न बेकार...आप तो इस घर के सर्वेसर्वा हैं...आपके अनुभव और आशीर्वाद ही मेरी सम्पत्ति है ।"

"बेटा, तुम तो मेरे बेटे हो...भावुक हो रहे हो...किंतु बहू...।" "नहीं बाबू जी, वह तो मुझ से भी ज़्यादा...।"

दरवाज़े की ओट से सुन रही बहू सिसकती हुई सामने आ जाती है...बाबूजी, मेरे द्वारा जिस क्षण आपकी उपेक्षा हुई हो, वह क्षण याद दिलाइए और मुझे जो चाहे सज़ा दीजिए. ..मगर इस तरह...।"

"तो फिर वे विदुषियां...।" वह बुदबुदा उठे ।

"कौन-सी विदुषियां ?" बेटा-बहू एक साथ प्रश्न कर उठे ।

यह प्रश्न सुनकर उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ ।

"अरे नहीं ! बेटा, कुछ नहीं, बूढ़ा हो गया हूं न...आत्म विश्वास की कमी के कारण न जाने क्या-क्या सोच लेता हूं...क्या-क्या कह जाता हूं ।" "बाबूजी, चाय लाऊ ?" बहू ने पूछा । 'विनीता ! पूछ क्या रही हो...ले आओ ! मैं तो बाबूजी की प्रतीक्षा में ही बैठा हूं...।"

"ले आओ विनीता बेटी...ले आओ...।" और हुलास बाबू ने मेज़ पर पड़ा अख़बार उठा लिया ।

हुलास बाबू सोचने लगे...मूर्ख है वे विदुषियां...नाटक में प्रत्येक पात्र उपयोगी होता है...फ़ालतू हो ही नहीं सकता । इस सोच से उनके चेहरे पर आत्मविश्वास चमकने लगा ।

"विनीता, जल्दी करो ! अख़बार पढ़ने का ज़ायका जाता रहेगा ।" चश्मा चढ़ाते हुए उन्होंने गर्व से कहा ।

सतीशराज पुष्करणा
बरेली (उ०प्र०)

हृदय परिवर्तन

■ नरेन्द्र सिंघवी

रात के दूसरे पहर का सन्नाटा । नींद में बेसुध डैडी । सिरहाने की तरफ़ कुर्सी पर बैठकर उनकी देखभाल करता हुआ, सात वर्षीय मनीष । उसी समय बाहर बरामदे की तरफ़ से आती हुई आवाज़ । मनीष ने उठकर दरवाज़ा खोला । चारों ओर निहारा । अचानक उसकी नज़र ऊंची कांचदार चारदीवारी पर पड़ी, जहां से कोई मानवाकृति फलांग लगाकर इस पार आना चाह रही थी । मनीष ने चांदनी में साफ़-साफ़ देखा, उस मानवाकृति के पैरों से टप-टप कोई द्रव टपक रहा था । मनीष दौड़कर उसके पास पहुंचा और धीरे से कहा, ''तुम वहीं रुको । मैं उतरने के लिए स्टूल लाता हूं ।''

उस मानवाकृति ने सोचा-ज़रूर यह लड़का कोई चालाकी करना चाहता है, लेकिन जब तक वह कुछ निर्णय कर पाता मनीष दौड़कर एक स्टूल ला चुका था । वह आदमी तेज़ी से नीचे उतर गया और इससे पहले कि वह लड़के के मुंह में कपड़ा ठूंसता, हाथ-पैर बांध देता, लड़के की बात सुनकर वह ठगा-सा रह गया । लड़का कह रहा था, ''तुम्हारे पैर ज़ख़्मी हो गये हैं, लेकिन तुम रोना नहीं । नहीं तो मेरे डैडी जाग जाएंगे । बड़ी मुश्किल से उन्हें आज नींद आयी है । मैं तुम्हारे लिए मरहम-पट्टी का सामान लाता हूं ।'' कहकर मनीष अन्दर चला गया ।

वह आदमी अवाक् रह गया, ''बड़ा अजीब लड़का है. ..इसे यह पता नहीं कि मैं कौन हूं...। अगर इसे मालूम हो गया कि मैं चोर हूं, तो...?''

मरहम पट्टी का सामान लाकर मनीष ने अपने नन्हें हाथों से पट्टी बांधी । वह आदमी अब भी स्तब्ध था-विचित्र लड़का है । अब तक तो इसे चिल्लाकर पूरे मुहल्ले को जगा लेना चाहिए था, मगर यह है कि मरहम, पट्टी, दया...। उसने पूछा, ''तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो...तुम्हें पता है मैं कौन हूं...?''

''हां पता है ।'' मनीष ने बड़े आत्मविश्वास से कहा तो उस आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं, ''कौन हूं मैं...?'' ''तुम चोर हो, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकता था, क्योंकि मेरे बीमार डैडी को आज दस रोज़ बाद नींद आयी है । डॉक्टर अंकल ने कहा है कि इन्हें नींद लगे तो किसी भी तरह बीच में टूटने न पाये । तुम चोर हो मगर तुम्हारे पैर में चोट लग गयी है । डैडी ने सिखाया है कि जैसा भी आदमी हो, अगर वह दुखी है तो उसकी मदद करनी चाहिए ।''

नन्हें बालक के मुंह से समझदारी की इतनी बड़ी बात सुनकर चोर द्रवित हो उठा और साथ ही लज्जित भी । उसने झिझक के साथ पूछा, ''तुम्हारे घर में और कौन-कौन हैं...?'' ''सिर्फ़ डैडी ही हैं । मनीष का स्वर बेचारगी से अत्यंत बोझिल था ।

''और मम्मी...?''

''मम्मी को मैंने नहीं देखा । डैडी कहते हैं, वे हम से बहुत दूर चली गयी हैं । जहां से कोई नहीं आता ।''

चोर के मन में ढेर सारी सहानुभूति उमड़ पड़ी । उसने पूछा, ''तुम्हारा नाम क्या है ?''

''मनीष, मगर तुम यह सब क्यों जानना चाहते हो । सुनो; अब तुम जो, जो चीज़ें ले जाना, चाहते हो, लेकर गेट से चले जाओ, ऊपर से फलांगना अच्छा नहीं । दीवार पर कांच के टुकड़े गड़े हैं ।'' मनीष ने धीमे स्वर में कहा ।

''मनीष, अब मैं तुम्हारे घर में चोरी नहीं करूंगा ।''

''अरे, तुम डरते क्यों हो, मैं शोर नहीं मचाऊंगा । घर के सामानों से मेरे डैडी की नींद ज़्याद महंगी है ।''

निश्छल बाल वृत्ति पर चोर बुरी तरह रीझ गया । दया से उसकी आंखें भीग गयीं । मनीष उसकी आंखों की नमी देखते ही अन्दर को दौड़ पड़ा । दूसरे ही क्षण वह अपने हाथों में एक गोली, दो-चार स्लाइस्ड ब्रेड और एक गिलास पानी लिए वहां खड़ा था ।

''शायद तुम्हारे पैर का दर्द अब बढ़ गया है । तुम इसे खा लो । डैडी के दर्द के लिए डॉक्टर अंकल ने यह दवा दी है । भूख लगी हो तो यह ब्रेड खा लो और तो कुछ मेरे घर में है नहीं, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता नहीं । एक नौकर था वह दो हज़ार रुपये लेकर पांच-सात रोज़ पहले भाग गया । तब से मैं ऐसे ही ब्रेड लेकर खा लिया करता हूं । कभी डॉक्टर अंकल कुछ ला देते हैं, तो कभी पड़ोस की आंटी जी रोटी वग़ैरह दे जाती हैं, मगर वह बेचारी कल नहीं दे गयीं ।'' मनीष ने संक्षेप में कहा ।

समाज के लिए एक बुरे और घृणित आदमी के प्रति इतनी सद्भावना देखकर चोर का मन पिघल गया । उसकी

आंखों में आंसू भर आये जिसे देखकर मनीष विचलित हो उठा । फिर बहुत पसीजकर खुशामद भरे लहज़े में मनाने की अदा से कहने लगा । ''चोर अंकल ! अगर मुझसे कोई ग़लती हो गयी हो तो क्षमा कर दो । मैं छोटा बच्चा हूं न । मुझे बड़े आदमी से सुलूक करना नहीं आता है किस बात को कैसे कहना है, मैं नहीं जानता, ख़ासकर चोर से तो बिल्कुल नहीं ।''

अब और बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें न रही । उसने मनीष को गोद में उठा लिया और गले से लगाते हुए बोला, ''मनीष भैया । तुम्हें जो सुलूक का ढंग आता है वह तो बड़े-बड़े ज्ञानियों को भी नहीं आता होगा । अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगा । जब तुम्हारे डैडी जाग जाएंगे तो मैं एक निवेदन करूंगा ।''

मनीष ने हैरान होकर पूछा, ''क्या...?''

''यही कि आपके घर से एक नौकर चोर बनके भाग गया था और अब एक चोर आकर यहां नौकर बनना चाहता है ।''

मनीष फटी-फटी आंखों से उस चोर को देखते हुए सोचने लगा कि डैडी के जागने पर वे पूछेंगे कि ऐसा कैसे हुआ तो...।

पुस्तक 🕮 समीक्षा

जीव-जन्तुओं के दोहे

प्रकृति और जीव-जन्तुओं का आधार-आधेय संबंध है । जैव-विविधता प्रकृति का अनुपम उपहार है । यदि धरा से एक भी जीव लुप्त होता है तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है जिसका सीधा असर मनुष्य न मनुष्येतर प्राणियों पर पड़ता है । प्रत्येक जीव के अस्तित्व का अपना महत्व है । इसी तथ्य के परिप्रेक्ष्य में लब्धप्रतिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार श्री रोहित यादव ने अपनी पुस्तक 'जीव-जन्तुओं के दोहे' में जल-थल और नभ में विचरण करने वाले 76 जीव-जन्तुओं के स्वभाव, आदतें, रंग-रूप, निवास-स्थल व क्रियाकलापों का चित्रण बखूबी किया है ।

प्रकृत पुस्तक में जहां लुप्त होते दुर्लभ पक्षियों-गिद्ध, चंडूल, चील, फ़ाख़्ता आदि का चित्रण है, वहीं विभिन्न जीवों के क्रियाकलापों द्वारा शकुन-अपशकुन होने का उल्लेख भी किया गया है ।

लेकर अण्डे चल पड़े
चींटी रक्षित स्थान ।
जल्दी ही बरसात हो,
यह निश्चित लो जान ।।

इसी प्रकार नीलकंठ व खेमकरी के दर्शन को शुभ माना गया है । बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ तथा दीपावली के दिन बिल्ली का घर आना लक्ष्मी का प्रतीक व शुभ माना जाता है । ढेकी पक्षी का बोलना अतिवृष्टि होने का द्योतक है । इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों को भी कवि ने अपने कथ्य में समाहित किया है । पुस्तक में यत्र-तत्र पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग तथा जीव जन्तुओं से संबंधित मुहावरों का उल्लेख कवि की महती व्याकरणिक अभिरुचि का परिचायक है । प्रतिदर्श द्रष्टव्य हैं-

-: पर्यायवाची :-

चातक, बादल, सांप, मृग
मोर . सुनहरी रंग ।
नाम सभी का एक है ।
कहें जिसे सारंग ।।

-: मुहावरे :-

धोबी का गधा, गिरगिट की तरह रंग पलटना,
चींटी-सम, बुलबुल-सा गाना, मेमने-सा भोला, आदि ।

बैया पक्षी की घोंसला बनाने की कारीगरी का वर्णन किया गया है और कबूतर को शांति, प्रेम व सद्भाव का प्रतीक माना है ।

इस प्रकार कवि ने 'दोहा छन्द के माध्यम से जीव-जन्तुओं के महत्व को प्रस्तुत करते हुए मानव को परस्पर प्रेम-भाव से रहने की प्रेरणा व संदेश संप्रेषित किया गया है-

रोहित सारस दे रहा
मानव को सन्देश
रहना मानव प्रेम से
मत करना तू द्वेष ।

● डॉ॰ जयभगवान शर्मा

तिमिर शेष न रहे

हम ईश्वर से करें प्रार्थना
जीवन अपना आलोकित हो
मुक्त रहें हम बुरे कर्म से
नेक कार्य ही सम्पादित हो

सत्य, प्रेम, सद्भाव हृदय में
सुवासित हों खिले फूल से
कुत्सित इच्छा, द्वेष, वासना
हों समाप्त सम्पूर्ण मूल से

अपने और पराये जन में
भेदभाव किस कारण करना,
सब ही तो हैं दास प्रभु के
सबको एक समान समझना

जितनी भी आसुरी वृत्ति हो
हम उनका परित्याग करें,
तिमिर शेष न रहे अंश भर
मन में यह संकल्प धरें ।

अभिराम सत्यज्ञ जयशील
हथुआ डाकघर-841436

ग़ज़ल

वो अक्से-दिले आशना[1] छोड़ आए
कहीं भी जो नक़्शे-वफ़ा[2] छोड़ आए

जहां अहले-ग़म[3] नक़्शे-पा[4] छोड़ आए
दिलों के लिए रहनुमा छोड़ आये

उजाला दिलों में न जब कर सके हम
तमन्ना का जलता दिया छोड़ आए

जो थे कुश्तए-दर्द[5] उनके लिए हम
नहीं कुछ तो दिल की दुआ छोड़ आए

गुज़ारी 'फ़राज़' इस तरह ज़िन्दगानी
कि गोया[6] कोई हादसा छोड़ आए ।

● **फ़ारूक़ 'फ़राज़'**

1. परिचित हृदय की प्रतिच्छाया, 2. वफ़ा का चिह्न, 3. वेदना वाले, 4. वफ़ा का चिह्न, 5. ग़म के मारे, 6. मानो ।

रोशनी कहती कि खिड़की खोलिए

जागिये अब तो बहुत ही सो लिए ।
छोड़िये तन्द्रा कि उठिए, डोलिए ।।
दे रही दस्तक किरण है द्वार पर ।
रोशनी कहती कि खिड़की खेलिए ।।

हादसे पर हो रहे हैं हादसे,
आप फिर भी मौन हैं, कुछ बोलिए ।।
क़ैद महलों में हुई है चांदनी,
शक्ति अपने बाजुओं की तोलिए ।।
पालिये मत सांप अपनी जीभ में,
इन्द्रधनुषी रंग धरा पर घोलिए ।।
देश की तस्वीर ही होगी नयी,
साथ सबके सब आगर हैं हो लिए ।।

■

विष घृणा का न घोलें, निवेदन यही ।
बोल कड़वे न बोलें, निवेदन यही ।।
आग घर में लगी है बुझाएं उसे,
बन प्रभंजन न डोलें, निवेदन यही ।।
आपके हैं सभी, ग़ैर कोई नहीं,
निज हृदय को टटोलें निवेदन यही ।।
रक्त में हैं सने आपके हाथ जो,
स्नेह सुकर्म से धो लें, निवेदन यही ।।
दुख से हों न गीले किसी के नयन,
स्वप्न-स्वर्णिम संजो लें, निवेदन यही ।।
दूसरों को कहें बाद में हम बुरा,
पहले अपने को तोलें, निवेदन यही ।।
पथ-प्रगति सामने है, विमुखता तजें,
सबके सब साथ होलें, निवेदन यही ।।

● **डॉ० गणेशदत्त सारस्वत**

मदद के लिए अपील

जामिया मिस्बाहुल उलूम चौकोनियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इन्तिज़ाम है। यहां दीनी और अस्री उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ सिमोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्वाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

जामिया के मंसूबे

● मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर ● जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना ● लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर ● टेक्निकल सेन्टर का क़याम ● होस्टल की तामीर ● अनाथालय की तामीर ● फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

अहले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह के यहां उसका बदला पाएं।

—: भेजने का पता :—

जामिया मिस्बाहुल उलूम

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09450587737, 09793424547

जामिया का बैंक खाता नं०

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

सोनोग्राफ़ी मशीनों का ग़लत प्रयोग

❖ रेणुका पामेचा

जनगणना 2011 के आंकड़े जारी होने के बाद से राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग बहुत सक्रिय हो गया है । स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की पहल पर राज्य के जनसंगठनों के साथ अप्रैल माह में दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं । इन बैठकों में संस्था संगठनों की बातचीत को बहुत गंभीरता से सुना गया है । पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ क़ानून के क्रियान्वयन को लेकर कई समस्याएं उठायी गयी हैं । संगठनों का कहना है राज्य में लिंग परीक्षण की एक बड़ी इंडस्ट्री बन गयी है । एक लड़की के कम होने पर 10 हज़ार की कमाई सोनोग्राफ़ी से होती है । राजस्थान में 6 लाख 55 हज़ार 410 लड़कियां कम हुई हैं तो यह राशि 655 करोड़ रुपये होती है । राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और प्रसव के आंकड़ों के आधार पर यह जानने का प्रयास नहीं करती कि पंजीकरण और प्रसव के आंकड़ों में इतना अन्तर क्यों है ? इस सिलसिले में कुछ सुझाव ये हैं :

1. ज़िला कलक्टर एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज़

2007 से कलक्टर्स को एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी की भूमिका दी गयी है । ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी कलक्टर होता है । इस कारण प्रभावशाली तरीक़े से यह काम होना चाहिए था परन्तु कई तरीक़ों से यह असफल साबित हुआ । कलक्टरों ने अपने सैकड़ों कामों में इसको भी शामिल कर लिया **जबकि** पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ क़ानून में क्रियांविति का मुख्य सूत्र व केन्द्र बिंदु एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी है जिसका काम मोनिटियरिंग व निरीक्षण करना है । जहां शिकायत हो उनके लाइसेंस रद्द करना, उनकी शिकायत को मजिस्ट्रेट्स के सम्मुख पेश करना आदि है । ज़्यादातर कार्य स्वप्रसंज्ञान लेकर करने का है । अभी कोई कलक्टर न तो स्वप्रसंज्ञान लेकर यह कार्य कर रहे हैं न ही जो काम करने का उनका दायित्व है वो ही किया जा रहा है । काम सी॰एम॰एच॰ओ॰ कर रहे हैं जो नोडल एजेंसी हैं । देखने में यह आया है कि वास्तव में दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं ।

इसलिए पहला पुनरावलोकन कलक्टर की एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी की भूमिका को लेकर करना है । जब तक कलक्टर एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी है तब तक मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री को उनके साथ विचार-विमर्श करना चाहिए । एक संयुक्त बैठक बुलायी जानी चाहिए जिसमें एन॰जी॰ओ॰ को भी बुलाना चाहिए ताकि वे अपने सुझाव रख सकें ।

2. पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ समन्वयक

2008 से ही इस व्यवस्था की शुरुआत हुई और वकीलों को पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ क़ानून में एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी की मदद करने के लिए नियुक्त किया गया । हम इस व्यवस्था की तारीफ़ करते हैं । सोचा यह गया था कि इससे कलक्टर्स को मदद मिलेगी । देखने में यह आया कि सी॰एम॰एच॰ओ॰ ने इनको अपने क़ानूनी अधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया । कई बार इनको निरीक्षण करने की इजाज़त नहीं दी गयी । कलक्टर ने उनके कामों पर कभी चर्चा नहीं की । इस तरह यह व्यवस्था कमज़ोर होती गयी । इनके काम का भी हर दो महीनें में पुनरावलोकन होना चाहिए । राज्य स्तर पर यह रिव्यू पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ प्रकोष्ठ द्वारा और ज़िला स्तर पर एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी द्वारा होना चाहिए ।

3. ज़िला सलाहकार समितियां

● ज़िला स्तर पर 8 में से 5 सदस्य सरकारी हैं । जहां कहीं भी ग़ैर-सरकारी सदस्य हैं वे ऐसे बनाए गये हैं जिनका इस मुद्दे से न तो कोई लेना-देना है और न उनकी रुची है । इस कारण तीन ग़ैर-सरकारी सदस्यों का चयन उन नागरिक समुहों में से होना चाहिए जो इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं ।

● कुछ सदस्य जो डॉक्टरों के समूह से लिए जा रहे हैं वे ज़िला व उपज़िला स्तर की यानी दोनों कमेटियों में भी हैं । इस कारण क़ानून का पालन कराने में वे पूरा समय नहीं दे पाते हैं ।

4. राज्य स्तर पर व्यवस्था

राज्य स्तर पर चार तरह की व्यवस्था है (अ) राज्य स्तरीय निरीक्षण बोर्ड जिसमें स्वास्थ्य मंत्री अवश्य शामिल हों । (ब) तीन सदस्यीय राज्य एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी (स) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति (द) राज़स्थान राज्य पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ प्रकोष्ठ ।

2007 से पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है । इस प्रकोष्ठ को राज्य में क़ानून की पालना को देखना है । इसमें कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं परंतु पूरी कार्य

प्रणाली में समयबद्ध व्यवस्थित तरीक़े से रिव्यू करने की कोई व्यवस्था नहीं है । पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ प्रकोष्ठ द्वारा रिव्यू का मतलब पूरे राज्य में क़ानून की पालना को देखना है । यह मुख्य शासन सचिव के स्तर पर होना चाहिए । चूंकि रोज़मर्रा की मोनिटियरिंग व क़ानून की क्रियांविति के लिए यह मुख्य प्रकोष्ठ है । इस कारण इसको मज़बूत करने की आवश्यकता है ।

● एक ज़िले में एक महीने में प्रसव पूर्व कितने टेस्ट किये गये हैं । उसके आंकड़े एकत्र किये जाने चाहिए जो केन्द्र पूरी जानकारी नहीं देते हैं उन पर सरकार को पूरी नज़र रखनी चाहिए ।

● ज़िलों की सलाहकार समितियों की बैठकों के कार्यवाही ब्योरे का परीक्षण करना चाहिए । जो निर्णय किये हैं उनका मूल्यांकन तथा क़ानून की पालना हर ज़िले में एक-सी होनी चाहिए ।

● राज्य व ज़िला स्तरीय हर समिति का कार्य पारदर्शी हो और उसमें जनता की भागीदारी हो ।

5. क़ानून की क्रियांविति का बाहर से कोई रिव्यू करे

बाहर वाले लोगों व संस्थाओं से पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ क़ानून को लागू करने की गुणवत्ता की जांच करानी चाहिए । जो कमियां रह गयी हैं उसकी रिपोर्ट पेश होनी चाहिए और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए । हमें हमारी शक्ति व कमियों का पूरा ध्यान होना चाहिए । (विविधा फीचर्स)

फ़िलिस्तीनी महिला ने किया एवरेस्ट फ़तह

फ़िलिस्तीन की सुजैन अल-हौबी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली अरब की पहली महिला बन गयी हैं । यू॰ए॰ई॰ में रहने वाली सुजैन ने गत दिनों कहा, 'एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली अरब महिला बनना रोमांचक और सम्मान की बात है ।' उन्होंने कहा, 'मैं अपने एहसास को फ़िलिस्तीन और अरब के सभी लोगों ख़ासकर महिलाओं के साथ साझा करना चाहती हूं । एवरेस्ट पर पहुंचनें वाले पल को कभी नहीं भूलूंगी ।' 21 मई को 40 साल की हुई सुजैन इस चोटी पर 51 दिनों की मेहनत के बाद पहुंची ।

बुरा जो देखन मैं चला

एक बार हज़रत अली (रज़ि॰) के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद जा रहे थे । रास्ते में एक व्यक्ति उन्हें गालियां देने लगा, उनके लड़के दौड़ पड़े और चाहा कि उस गुस्ताख़ की अच्छी तरह ख़बर लें पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उन्हें मारने-पीटने से मना कर दिया । उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए वे बोले :

अरे भाई, जितना तुम मुझे कह रहे हो, मैं उससे ज़्यादा भी बुरा हूं । जितना तुम मेरे बारे में जानते हो, मेरे अन्दर उससे कहीं ज़्यादा बुराई है । यदि तुम्हें उसे बयान करने की ज़रूरत हो तो मैं उसे बताये देता हूं ।''

इमाम साहब की यह बातें सुनकर वह बहुत शर्मिंदा हुआ और उस पर घड़ों पानी पड़ गया ।

उसकी यह दशा देखकर इमाम साहब ने अपना कुर्ता उतार कर उसे दे दिया और आदेश दिया कि उसे एक हज़ार दिरहम दे दिया जाए । वह व्यक्ति जाते हुए कह रहा था :

''मैं गवाही देता हूं कि यह अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के नवासे हैं ।''

इन्सान में अनगिनत दोष हैं

एक बार दो महापुरुषों का संयोग हुआ, और उन दोनों में ज़ो बातचीत चली वह इस प्रकार थी :

प्र॰ : मनुष्य में कितने दोष हैं ?

उ॰ : गिनती नहीं है । हां, एक स्वभाव उसमें ऐसा ज़रूर है कि यदि उसका सदुपयोग वह कर ले तो उसके सारे दोषों पर परदा पड़ जाए ।

प्र॰ : वह क्या है ?

उ॰ : ज़बान की हिफ़ाज़त ।

For Information On
City Shops, Roads–Products,
Restaurants, Landmarks
And much more.
Visit us:
www.shoppinglaneg.com

हलाल की कमाई

■ बिन्ते इमरान

नईम तेज़ धूप में घर से निकला, उसके हाथ में अम्मा का दिया हुआ हज़ार रुपये का नोट था । यह रक़म उसकी अम्मा ने लोगों के कपड़े सी-सीकर जमा की थी । नईम आगे बढ़ा तो उसे अपना दोस्त शहरयार मिल गया । नईम उसके साथ उसके घर चला गया और वहां काफ़ी देर तक बैठा रहा । फिर वह वहां से बाज़ार आया और अपनी मां के बताये हुए सौदे ख़रीदे, लेकिन जब पैसे चुकाने के लिए उसने जेब में हाथ डाला तो हज़ार रुपये का नोट ग़ायब था । नईम बहुत घबराया और सोचने लगा कि आख़िर वह नोट कहां गया ?

दुकानदार ने उसकी परेशानी भांपते हुए कहा, क्या हुआ बेटा कुछ परेशान लग रहे हो ?

नईम ने घबरायी आवाज़ में कहा कि मेरा हज़ार रुपये का नोट पता नहीं कहां खो गया ?

दुकानदार भला आदमी था, उसने नईम से कहा–बेटा तुम ये सामान घर ले जाओ, जब पैसे मिल जाएं, लाकर दे देना ।

नईम ने सामान ले जाने से इन्कार कर दिया और कहा कि अम्मा कहती हैं, कभी क़र्ज़ नहीं लेना चाहिए । दुकानदार यह सुनकर बहुत हैरान हुआ । नईम वापस अपने घर आया और सारी बात अम्मा को बता दी । नईम ने जब यह बताया कि उसने क़र्ज़ नहीं लिया तो उसकी मां बहुत ख़ुश हुई । वह बोली बेटा, सब्र करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है ।

अगले दिन स्कूल में चुप-चुप सा था । इस्लामियात के टीचर ने आज हलाल और हराम के बारे में पढ़ाया और बताया कि जो रोज़ी हलाल तरीक़े से कमायी जाए वह कभी बर्बाद नहीं होती । नईम को लगा कि टीचर सारी बातें उसी से कह रहे हैं । आधी छुट्टी में जब सभी लड़के अपना-अपना लंच बॉक्स उठाये क्लास से बाहर निकल गये, लेकिन नईम वहां अकेला ही बैठा रहा, वह अपना सिर डेस्क पर रखकर सोचने लगा । अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा । उसने देखा तो सामने शहरयार खड़ा था । उसनू पूछा क्या बात है नईम आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो । नईम ने उसे नोट खोने वाली बात बतायी ।

सुनते ही शहरयार ने कहा अच्छा तो वह नोट तुम्हारा था, तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने कमरे में पड़ा मिला था, मुझे मालूम होता तो तुम्हारे घर दे आता । मैंने उसे अपनी अम्मी के पास रख दिया है । छुट्टी में मेरे घर होते हुए चलना, तुम्हें तुम्हारी अमानत मिल जाएगी ।

नईम को टीचर की बात याद आ गयी कि हलाल की कमाई कभी बर्बाद नहीं जाती ।

बेहोशी की दवा की खोज

बहुत समय पहले ऑपरेशन के दौरान जब दर्द महसूस न होने देने के लिए बेहोशी की दवाओं का आविष्कार नहीं हुआ था, तो शल्य चिकित्सकों और मरीज़ों को ऑपरेशन के दौरान अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था ।

तब ऑपरेशन से पूर्व रोगी को ऑपरेशन की मेज़ पर लिटाकर कसकर बांध दिया जाता था, ताकि वह छटपटाने न पाये । ऑपरेशन के दौरान कई लोग चारों ओर से रोगी को पकड़े रहते थे । ऑपरेशन थियेटर अस्पताल के बाहर ही होता था, ताकि रोगी की चीख-पुकार अस्पताल के दूसरे मरीज़ों तक न पहुंचने पाये । चिकित्सक को भी ऑपरेशन का काम शीघ्र निबटाने की हड़बड़ी रहती थी, जिससे ऑपरेशन अक्सर सफल नहीं हो पाता था ।

इस परेशानी की ओर वैज्ञानिकों और शल्य चिकित्सकों का बहुत ध्यान था, क्योंकि जब तक रोगी को चीर-फाड़ के दौरान होने वाली पीड़ा से छुटकारा नहीं दिलाया जाता तब तक आधुनिक शल्य चिकित्सा की सफलता असंभव थी । अत: उन्हें किसी ऐसे रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता थी, जिसके प्रयोग से रोगी को बेहोश किया जा सके, अथवा वह स्थान जिसका ऑपरेशन करना हो, सुन्न हो जाए ।

सर्वप्रथम ''क्राफोर्ड डब्ल्यू॰ लांग'' ने इसके लिए एक रासायनिक पदार्थ ईथर का प्रयोग किया । इसका प्रयोग करने से पूर्व उन्होंने अपने कई मित्रों को ईथर सुंघाया । सुंघाने के साथ ही वे लड़खड़ाते हुए तरह-तरह की हरकतें करने लगे । वे कभी दीवार से टकरा जाते तो कभी मेज़ पर लुढ़क जाते । मगर उन्हें दर्द ज़रा भी महसूस न होता था । फिर लांग ने अपने एक रोगी पर उसी द्रव (ईथर) का प्रयोग किया, जो सफल रहा ।

ऑपरेशन करने से पहले उन्होंने रोगी की नाक पर ईथर से भीगा तौलिया रख दिया । ऑपरेशन के दौरान रोगी को ज़रा भी पीड़ा का एहसास नहीं हुआ ।

हालांकि इस प्रयोग से पहले भी ब्रिटिश वैज्ञानिक डेवी ने नाइट्रस ऑक्साइड गैस की करामात दिखलायी थी । इसे सूंघने वाला व्यक्ति कभी हंसता, कभी चिड़चिड़ाने लगता तो कभी पागलों की-सी हरकतें करने लगता था । इस हंसाने वाली गैस का चिकित्साशास्त्र में परीक्षण भी किया गया, पर वैज्ञानिकों ने डेवी के इस प्रयोग को नज़रअंदाज़ कर दिया ।

तत्पश्चात सन 1846 में मशहूर दंत चिकित्सक डॉ० टी०जी० मार्टन ने ईथर को एक कांच की नली में भरकर 'ईथर सुंघनी' बनायी और इसके प्रयोग से एक नवजवान के जबड़े की रसौली का सफल ऑपरेशन किया ।

स्कॉटलैंड के डॉक्टर सिंपसन ने ईथर की जगह क्लोरोफार्म का प्रयोग किया । दंत के डॉक्टर कभी-कभी मसूड़ों में नोवोकेन का इंजेक्शन देकर नस-नाड़ियों को बिल्कुल सुन्न कर देते हैं, जिससे दांत निकालते वक़्त रोगी को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती ।

आजकल ऑपरेशन थियेटर में गैस यंत्र की सहायता से रोगी के शरीर के किसी भाग को सुन्न करने के लिए जिस दवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, वह है नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर तथा ऑक्सीजन का मिश्रण । इसे प्रयोग करते समय रोगी के रक्तचाप, हृदय की गति आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है ।

बेहोशी लाने वाली औषधियों की वजह से ही बड़े से बड़े ऑपरेशन भी आजकल चुटकी बजाते संपन्न हो जाते हैं और मरीज़ को दर्द, पीड़ा या वेदना जैसी कोई अनुभूति तक नहीं होने पाती ।

बेहोशी की ये दवाएं आधुनिक शल्य चकित्सा की जान हैं ।

• भगवती प्रसाद द्विवेदी

मुद्रक एवं प्रकाशक खलील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित ।
फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

With best compliments from:

Ph: 0651-2330144, 2330604
Mo. 09334706965

Azad Pharma
formerly
Azad Pharmacy

Timing :
10:00 a.m. to 09:00 p.m.

Sunday Closed

B-7, Sainik Market, Main Road, Ranchi-834001 (Jharkhand)

अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज

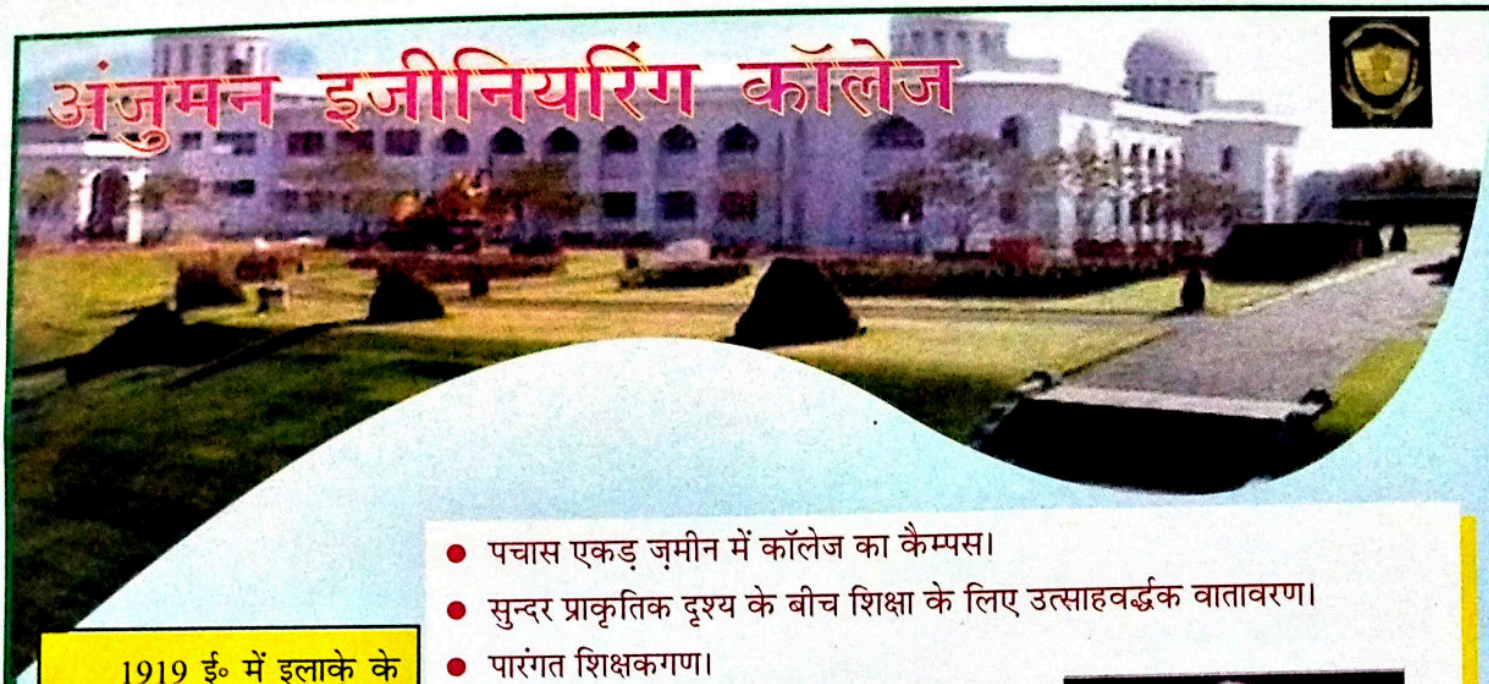

1919 ई॰ में इलाक़े के मुसलमानों का शैक्षिक पिछड़ापन दूर करने के लिए स्थापित अंजुमन हामी-ए-मुस्लिमीन, भटकल, जिसका आरंभ एक प्राइमरी स्कूल से हुआ था, आज के॰जी॰ से पी॰जी॰ तक 21 शैक्षिक संस्थाएं अंजुमन की छत के नीचे चल रहे हैं । इनमें सबसे अहम है अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज (फॉर मेन) जो 1980 से लगातार विकसित हो रहा है।

- पचास एकड़ ज़मीन में कॉलेज का कैम्पस।
- सुन्दर प्राकृतिक दृश्य के बीच शिक्षा के लिए उत्साहवर्द्धक वातावरण।
- पारंगत शिक्षकगण।
- बेहतर आधारभूत सुविधाएं।
- छात्रों के लिए हॉस्टल।
- बड़ी संख्या में किताबों के साथ लाइब्रेरी।
- आवश्यक यंत्रों से पूर्ण लेबोरेट्रीज़।
- इंटरनेट की सहूलियत।
- दीनी जानकारी के लिए इस्लामिक रिसर्च सेन्टर।
- देश और विदेश के छात्रों का सुन्दर मिश्रण।
- यहां से शिक्षा प्राप्त 500 छात्र विदेशों में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत।
- विश्वेश्वरैया टेक्नॉलोजिकल यूनीवर्सिटी, बेलगाम से संबद्ध अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी भी पाठ्यक्रम का चुनाव करें और अपना भविष्य बनाएं।



Courses Offered.

1) Civil Engineering.
2) Mechanical Engineering.
3) Electrical & Electronics Engineering.
4) Electronics & Communication Engineering.
5) Computer Science & Engineering.
6) Information Science & Engineering.
7) M. B. A. (Master in Business Administration)



For More Information Contact :-

Principal, Anjuman Engineering College (For Men)
(Affiliated to VTU Belgaum, Karnataka & Recognized by AICTE &
Accreditated by National Board of Accreditation, New Delhi)
Anjumanabad, Post Box No. 24, Bhatkal-581 320 (Uttara Kannada) Karnataka (India)
Regd. Office: (08385) 226214, College Office: (08385) 226554, Fax: (08385) 227175
Web: www.aecbhatkal.org, E-mail: mail@aecbhatkal.org

Posted on 20-21 June 2011
July 2011
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.06.2011

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2009-2011
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2009-1



Switches for Dream Homes

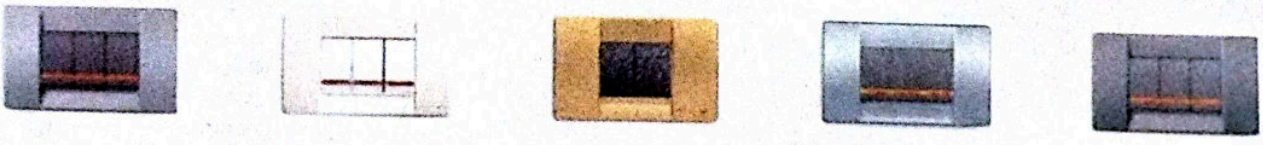

Wall Art
Pride on the Wall

TOYAMA
Technology for elegant living
www.toyamaindia.com